

पूर्वोत्तर रेलवे

लखनऊ मंडल

स्टेशन संचालन नियम जारी होने की तिथि:

स्टेशन संचालन नियम लागू होने की तिथि:

स्टेशन संचालन नियमावली सं०—एल०जे०एन०/205

गोरखपुर जं०

(बी०जी०)

टिप्पणी:—(क) दिनांक 10.09.23 से लागू स्टेशन संचालन नियम सं० एल.जे.एन./205 को निरस्त कर निम्नलिखित संशोधित स्टेशन संचालन नियम द्वारा प्रस्थापित किया जाता है।

(ख) इन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर प्रचलित साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका जिसकी एक प्रति सदैव कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास उपलब्ध रहेगी, को सम्मिलित कर अध्ययन करेगा। इस नियमावली में अंकित नियम साधारण एवं सहायक नियमों का किसी भी स्थिति में अतिक्रमण नहीं करते हैं।

(ग) संदर्भ हेतु इस संचालन नियमावली की प्रति निम्न कार्यालयों में सदैव उपलब्ध रहेगी :—

स्टेशन प्रबन्धक	1 प्रति
वरिष्ठ स्टेशन अधीक्षक	1 प्रति
उप स्टेशन अधीक्षक (प्लेटफार्म)	1 प्रति
स्टेशन मास्टर/पावर केबिन	1 प्रति
स्टेशन मास्टर/सतर्कता आदेश (एकीकृत कू लॉबी)	1 प्रति

1. स्टेशन संचालन नियमारेख :

मुसिदूङ/नि०/गोरखपुर/पूर्वोत्तर रेलवे के सिगनल अन्तर्पार्शन योजना सं० एन०ई०आर०/एल०जे०एन०/जी०के०पी०/एस०आई०पी०/2023/वी०ई०आर०—जी०/07 संशोधन 'ए' पर आधारित नियमारेख सं० उपमुसिदूङ/नि०/गोरखपुर/2024 (आर०डी०)/32 दि. 03.12.24 मय संशोधन 'ए' दिनांक 19.02.25 तथा ट्रेक्शन आर.डी. सं० CONS/GKP/ EL/TSWRD/GKP/2024 दिनांक 20.12.24 संलग्न है, जिसमें इस स्टेशन के कांटों, सिगनलों और लाइनों की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है, दुर्घटना आदि की रिपोर्ट करते समय व संदर्भ के सभी मामलों में इसका उल्लेख करे तथा इसमें दिये कांटों, सिगनलों व लाइनों के नम्बर अवश्य अंकित करें।

2. स्टेशन का विवरण :

2.1 सामान्य स्थिति :

गोरखपुर जं० स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के गोण्डा जं० — गोरखपुर कैण्ट खण्ड पर कटिहार जं० से 504.915 कि०मी०, गोण्डा जं० से 153.10 कि०मी० तथा आनन्दनगर जं० से 41.40 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। यह स्टेशन मानक—I अन्तर्पार्शित एवं मानक—II उपकरणों के साथ बहुसंकेतीय रंगीन बत्ती वाले सिगनलों सहित डबल विजुअल डिस्प्ले यूनिट कन्ट्रोल पैनल पी.सी. (वी.डी.यू) द्वारा सुसज्जित टर्मिनल स्टेशन है। गोरखपुर जं० स्टेशन डोमिनगढ़ स्टेशन की तरफ विद्युतीकृत लाइन पर युग्म इकहरी लाइन (द्वीन सिंगिल लाइन) एवं गोरखपुर कैण्ट स्टेशन की तरफ विद्युतीकृत लाइन पर युग्म इकहरी लाइन (द्वीन सिंगिल लाइन) एवं III लाइन(इकहरी लाइन) तथा नकहा जंगल स्टेशन (शाखा लाइन) की तरफ विद्युतीकृत लाइन पर इकहरी लाइन "बी" श्रेणी का टर्मिनल स्टेशन है।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

2.2 ब्लाक स्टेशन, किसी भी ओर आई.बी.एच., आई.बी.एस. तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगे :

2.2.1 ब्लाक स्टेशन:

गोरखपुर जं० स्टेशन के पश्चिम में डोमिनगढ़ स्टेशन 04.37 कि०मी० की दूरी पर एवं पूरब में गोरखपुर कैंट स्टेशन 03.342 कि०मी० की दूरी पर तथा उत्तर पश्चिम में नकहा जंगल स्टेशन 05.55 कि०मी० की दूरी पर स्थित "बी" श्रेणी के स्टेशन है। ।

2.2.2 नान ब्लाक स्टेशन :

क अप दिशा :

i) डोमिनगढ़ छोर:-

— कोई नहीं —

ii) नकहा जंगल छोर:-

— कोई नहीं —

ख डाउन दिशा :

गोरखपुर कैंट छोर:-

— कोई नहीं —

2.3 विभिन्न दिशाओं में स्टेशन के किसी भी ओर ब्लाक खण्ड सीमा :-

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहां से "ब्लाक खंड" शुरू होता है ।	वह स्थान जहां "ब्लाक खंड " समाप्त होता है ।
गोरखपुर जं० — डोमिनगढ़		
उत्तर लाइन	इस स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 10 से ।	डोमिनगढ़ स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक ।
दक्षिण लाइन	इस स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 से ।	डोमिनगढ़ स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक ।
गोरखपुर जं० — गोरखपुर कैंट		
उत्तर लाइन	इस स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 103 से ।	गोरखपुर कैंट स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक ।
दक्षिण लाइन	इस स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 99 से ।	गोरखपुर कैंट स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक ।
गोरखपुर—गोरखपुर कैंट (III लाइन पर)		
	इस स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस—115 से ।	गोरखपुर कैंट स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक ।
गोरखपुर जं० — नकहा जंगल		
	इस स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 22 से ।	नकहा जंगल स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक ।

2.4 ढलान, यदि कोई हो :-

इस स्टेशन की मध्य रेखा से गोरखपुर कैंट छोर की ओर चैनेज 315.00 तक 928 में 1 की ढलान व उसके आगे चैनेज 715.00 तक समतल व उसके आगे 802.00 में 1 की ढलान है। डोमिनगढ़ छोर की ओर चैनेज 2648.00 तक समतल व उसके आगे 1386.00 में 1 की ढलान है।

कमशः पृष्ठ 3 पर

2.5 ले आउट :-

इस स्टेशन का ले-आउट वाशिंग काम्प्लेक्स लाइन व ट्रिप शेड लाइन को लेकर छिहत्तर (76) लाइनों का है, जिसमें लाइन सं० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18 व 47 रनिंग लाइनें ट्रैक सर्किटेड है। लाइन सं० 12 से 15 तक, 19 से 38 तक, 40 से 46 तक, 48 से 54 तक, 56 से 59 तक, 63 से 67 तक, 69 एवं 81 नान रनिंग लाइनें हैं तथा वाशिंग काम्प्लेक्स में लाइन सं० 1 से 12 तक नान रनिंग लाइनें हैं।

2.5.1 (क) चालू लाइनें, संचलन की दिशा और सी.एस.आर. में वाहन क्षमता :

लाइन संख्या	क्लियर स्टैंडिंग रुम (मीटर में) (सी०एस०आर०)	वाहन क्षमता (कोच)		अभ्युक्तियाँ	विद्युतीकृत अथवा अविद्युतीकृत
		ICF	LHB		
1 पूरब	613.00 मी०	27	25	यू कास ओवर से गोरखपुर कैंट छोर पर उच्चतल प्लेटफार्म सुविधायुक्त रनिंग लाइन है	विद्युतीकृत
1 पश्चिम	602.00 मी०	26	25	यू कास ओवर से डोमिनगढ़ छोर पर उच्चतल प्लेटफार्म सुविधायुक्त रनिंग लाइन है	
2 पूरब	507.00 मी०	22	21	यू कास ओवर से गोरखपुर कैंट छोर पर नान प्लेटफार्म रनिंग लाइन है ।	
2 पश्चिम	394.00 मी०	17	16	यू कास ओवर से डोमिनगढ़ छोर पर नान प्लेटफार्म रनिंग लाइन है ।	
3	875.00 मी०	39	36	नान प्लेटफार्म युक्त रनिंग लाइन है ।	
4	690.00 मी०	30	28	उच्चतल प्लेटफार्म सुविधायुक्त रनिंग लाइन है	
5	685.00 मी०	30	28	उच्चतल प्लेटफार्म सुविधायुक्त रनिंग लाइन है	
6	720.00 मी०	32	30	उच्चतल प्लेटफार्म सुविधायुक्त रनिंग लाइन है	
7	686.00 मी०	30	28	उच्चतल प्लेटफार्म सुविधायुक्त रनिंग लाइन है	
8	686.00 मी०	—		गुड्स रनिंग लाइन है ।	
9	686.00 मी०	—		गुड्स रनिंग लाइन है ।	
10	700.00 मी०	—		गुड्स रनिंग लाइन है ।	
11	700.00 मी०	—		गुड्स रनिंग लाइन है ।	
16	686.00 मी०	30	28	उच्चतल आईलैण्ड प्लेटफार्म युक्त रनिंग लाइन है ।	
17	686.00 मी०	30	28	उच्चतल आईलैण्ड प्लेटफार्म युक्त रनिंग लाइन है ।	
18	686.00 मी०	30	28	उच्चतल प्लेटफार्म युक्त रनिंग लाइन है ।	
47	310.00 मी०	13	12	उच्चतल प्लेटफार्म सुविधायुक्त रनिंग लाइन है	

- टिप्पणी:** (क) रनिंग लाइन सं० 2 गोरखपुर कैंट/डोमिनगढ़ स्टेशनों हेतु दक्षिण लाइन सीधी लाइन है।
 (ख) रनिंग लाइन सं० 3 गोरखपुर कैंट/डोमिनगढ़ स्टेशनों हेतु उत्तरी लाइन सीधी लाइन है।
 (ग) डोमिनगढ़ स्टेशन से गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान रनिंग लाइन सं० 47 के अतिरिक्त किसी भी रनिंग लाइन में/से किया जा सकता है।
 (घ) गोरखपुर कैंट स्टेशन से/को गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान किसी भी रनिंग लाइन में/से किया जा सकता है।
 (ङ) नकहा जंगल स्टेशन से गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान रनिंग लाइन सं० 1 व 47 के अतिरिक्त किसी भी रनिंग लाइन में/से किया जा सकता है।

कमश: पृष्ठ 4 पर

2.5.2 गैर चालू लाइनें और सी०एस०आर० में उनकी क्षमता :-

लाइन संख्या	क्लियर स्टैंडिंग रुम (मीटर में) (सी०एस०आर०)	वाहन क्षमता (कोच)		अभ्युक्तियाँ	विद्युतीकृत अथवा अविद्युतीकृत
		ICF	LHB		
12	686.00	30	28	मार्शलिंग लाइन	विद्युतीकृत
13	655.00	29	27	मार्शलिंग लाइन	
14	650.00	29	27	मार्शलिंग लाइन	
15	600.00	26	25	मार्शलिंग लाइन	
19	277.00	—	—	शान्तिंग नेक लाइन	
20	234.00	10	9	निरीक्षण कैरेज साइडिंग लोडिंग रैम्प प्रदत्त	आंशिक विद्युतीकृत
21	260.00	11	10	निरीक्षण कैरेज साइडिंग	
22	250.00	11	10	टूरिस्ट साइडिंग प्लेटफार्म युक्त	
23	254.00	11	10	साइडिंग लाइन	विद्युतीकृत
24	277.00	—	—	शान्तिंग नेक लाइन	
25	253.00	11	10	व्हील लेंथ लाइन	
26	171.00	7	7	शान्तिंग नेक लाइन	
27	328.00	14	13	लांग कोच स्टैब्लिंग लाइन	
28	328.00	14	13	लांग शान्तिंग नेक लाइन	
29	44.00	—	—	साइडिंग लाइन	आंशिक विद्युतीकृत
30	85.00	—	—	इलेक्ट्रिक लोका शेड	विद्युतीकृत
31	253.00	11	10	व्हील लेथ लाइन	विद्युतीकृत
32	600.00	26	25	कैरेज वाशिंग पिट लाइन	आंशिक विद्युतीकृत
33	465.00	20	19	कैरेज वाशिंग पिट लाइन	
34	600.00	26	25	कैरेज वाशिंग पिट लाइन	
35	594.00	26	24	शान्तिंग नेक लाइन	विद्युतीकृत
36	130.00	05	05	मेडिकल वान साइडिंग लाइन	अविद्युतीकृत
37	210.00	09	08	ए०आर०टी० साइडिंग लाइन	
38	50.00	02	02	इंजन स्टैब्लिंग लाइन	विद्युतीकृत
40	86.00	03	03	साइडिंग लाइन	
41	145.00	06	06	स्टैब्लिंग लाइन	
42	204.00	09	09	स्टैब्लिंग लाइन	
43	204.00	09	09	स्टैब्लिंग लाइन	
44	50.00	—	—	टावर वैगन साइडिंग	अविद्युतीकृत
45	55.00	02	02	साइडिंग लाइन	
46	75.00	03	03	साइडिंग लाइन	
48	102.00	04	04	स्पेयर कोच लाइन	आंशिक विद्युतीकृत
49	—	—	—	मैकेनिकल वर्कशाप लाइन	विद्युतीकृत
50	377.00	16	15	साइडिंग लाइन	आंशिक विद्युतीकृत
51	275.00	12	11	साइडिंग लाइन	विद्युतीकृत
52	110.00	—	—	व्हील लाइन	अविद्युतीकृत
53	205.00	09	08	साइडिंग लाइन	आंशिक विद्युतीकृत
54	115.00	05	04	साइडिंग लाइन	विद्युतीकृत

कमशः पृष्ठ 5 पर

56	68.00	02	02	साइडिंग लाइन	आंशिक विद्युतीकृत
57	280.00	12	11	साइडिंग लाइन	विद्युतीकृत
58	299.00	13	12	साइडिंग लाइन	आंशिक विद्युतीकृत
59	—	—	—	ट्रिप शेड लाइन	विद्युतीकृत
63	100.00	—	—	इंजन चेंजिंग लाइन	
64	50.00	—	—	इंजन चेंजिंग लाइन	
65	30.00	—	—	इंजन चेंजिंग लाइन	
66	75.00	—	—	इंजन चेंजिंग लाइन	
67	75.00	—	—	इंजन चेंजिंग लाइन	
69	100.00	04	04	साइडिंग लाइन	
81	590.00			शंटिंग नेक लाइन	
वाशिंग काम्प्लेक्स लाइन(नकहा जंगल छोर)					
1	—	—	—	वाशिंग काम्प्लेक्स लाइन	विद्युतीकृत
2	—	—	—		
3	—	—	—		
4	—	—	—		
5	—	—	—		
6	—	—	—		
7	—	—	—	वाशिंग काम्प्लेक्स लाइन	आंशिक विद्युतीकृत
8	—	—	—	वाशिंग काम्प्लेक्स लाइन	विद्युतीकृत
9	—	—	—		
10	—	—	—		
11	—	—	—		
ट्रिप शेड लाइन					
12	404	18	16	लाइन सं० 59 से निकली ट्रिप शेड लाइन है।	विद्युतीकृत

2.5.3 यार्ड में असामान्य बातें —

1. गोरखपुर जं० व डोमिनगढ़ एवं गोरखपुर जं० व नकहा जंगल स्टेशनों की सीमायें एक दूसरे में सम्मिलित हैं।
2. मानक दूरी कम होने के कारण गोरखपुर कैंट छोर उत्तर लाइन व III लाइनों पर अप डिस्टेन्ट सिगनलों का प्रावधान नहीं किया गया है। गोरखपुर कैंट स्टेशन के उत्तर व III लाइनों के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनलों के दो पीला आस्पेक्ट का आस्पेक्ट नियन्त्रण गोरखपुर जं० के अप होम सिगनलों के आफ आस्पेक्ट से किया गया है।

2.6 समपार :

- 2.6.1 स्टेशन सीमा के भीतर स्थित समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है :

कमशः पृष्ठ 6 पर

समपार सं०	श्रेणी	स्थिति	सामान्य स्थिति	संचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारी	इण्टर-लाकड है/नहीं	संचार साधन
162 इन्जी०	विशेष	अप होम सिगनल. सं० एस-18/ एस-14(डी.एम.जी.) एवं डाउन अग्रिम प्रस्थान/डिस्टेन्ट(जी.के.पी.) सिगनल सं० एस-13/ एस-17 के मध्य HM कि.मी. 507/3-4 (OHE कि.मी. 507/11-13) पर स्थित हैं।	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	स्टेमा कार्यालय डोमिनगढ़ से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध
1 ट्राफिक	विशेष	अप इण्टरमीडियट प्रस्थान सिगनल सं० एस-46 तथा अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-22 के मध्य HM कि.मी. 1/3-4 (OHE कि.मी. 00/10-14) पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	पावर केबिन गोरखपुर से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध
2 ट्राफिक	विशेष	डाउन होम सिगनल सं० एस-21 तथा अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-22 के मध्य HM कि.मी. 2/1-2 (OHE कि.मी. 2/4-5) पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	पावर केबिन गोरखपुर से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध
3 इन्जी०	विशेष	अप होम सिगनल. सं० एस-38(जे.ई.ए) एवं अप गेट सिगनल सं० 1 आर के मध्य HM कि.मी. 3/5-6 (OHE कि.मी. 3/9-10) पर स्थित हैं।	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	स्टेमा कार्यालय नकहा जंगल से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध

2.6.2 स्टेशन सीमा के बाहर स्थित इस स्टेशन से टेलीफोन द्वारा जुड़े समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन हेतु उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

— कोई नहीं —

टिप्पणी: समपार फाटक के संचालन की पद्धति हेतु स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "ए" भाग-1 व 2 देखें।

3. संचालन की प्रणाली और साधन :

अगल-बगल के स्टेशनों के मध्य "पूर्ण ब्लाक पद्धति" लागू है। इस स्टेशन पर लगाये गये ब्लाक उपकरणों का प्रकार निम्नवत है :-

कमश: पृष्ठ 7 पर

लगे ब्लाक उपकरणों के प्रकार	सहकारी/असहकारी	परिचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाभी जिसके पास रखी जाती है	टिप्पणी
गोरखपुर पावर केबिन और स्टेशन मास्टर गोरखपुर कैंन्ट के कार्यालय में स्थापित समान प्रकार के टेलीफोन युक्त इकहरी लाइन (III लाइन) हेतु सतत् ट्रैक सर्किटेड टोकेनलेस इनबिल्ट ब्लाक पैनल (वी.डी.यू. में) मय (MSDAC) के साथ सम्बद्ध है।	सहकारी	कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर	कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर	—
गोरखपुर पावर केबिन और स्टेशन मास्टर/ गोरखपुर कैंन्ट के कार्यालय में स्थापित समान प्रकार के टेलीफोन युक्त उत्तर लाइन ट्वीन सिंगिल लाइन हेतु सतत् ट्रैक सर्किटेड टोकेनलेस इनबिल्ट ब्लाक पैनल (वी.डी.यू. में) मय (MSDAC) के साथ सम्बद्ध है।	सहकारी	कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर	कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर	—
गोरखपुर पावर केबिन और स्टेशन मास्टर/ गोरखपुर कैंन्ट के कार्यालय में स्थापित समान प्रकार के टेलीफोन युक्त दक्षिण लाइन ट्वीन सिंगिल लाइन हेतु सतत् ट्रैक सर्किटेड टोकेनलेस इनबिल्ट ब्लाक पैनल (वी.डी.यू. में) मय (MSDAC) के साथ सम्बद्ध है।				
गोरखपुर पावर केबिन के कक्ष में स्थापित उत्तर लाइन ट्वीन सिंगिल लाइन हेतु टेलीफोन युक्त टोकेनलेस ब्लाक पैनल सतत् ट्रैक सर्किटेड तथा स्टेशन मास्टर/ डोमिनगढ़ के कक्ष में स्थापित समान तरह के टेलीफोन युक्त विद्युत ब्लाक यंत्र से सम्बद्ध है।	सहकारी	कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर	कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर	—
गोरखपुर पावर केबिन के कक्ष में स्थापित दक्षिण लाइन ट्वीन सिंगिल लाइन हेतु टेलीफोन युक्त टोकेनलेस ब्लाक पैनल सतत् ट्रैक सर्किटेड तथा स्टेशन मास्टर/ डोमिनगढ़ के कक्ष में स्थापित समान तरह के टेलीफोन युक्त विद्युत ब्लाक यंत्र से सम्बद्ध है।	सहकारी	कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर	कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर	—
गोरखपुर पावर केबिन और स्टेशन मास्टर नकहा जंगल के कक्ष में स्थापित समान तरह के टेलीफोन युक्त इकहरी लाइन डायडो टाइप टोकेनलेस विद्युत ब्लाक यंत्र के साथ एच.ए.एस.डी.ए.सी. से सम्बद्ध है।	सहकारी	कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर	कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर	

क्रमशः पृष्ठ 8 पर

टिप्पणी: कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उपर्युक्त “विद्युत ब्लाक यंत्र” को परिचालित नहीं कर रहा है। विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का अध्याय 14 तथा स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट “बी” का अनुलग्नक—III, IV एवं V देखें।

4. संकेतन एवं अन्तर्पाशन पद्धति :

4.1 स्टेशन पर रूट सेटिंग टाइप इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग (EI) के साथ बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिगनलो की व्यवस्था है, जो **मानक-I** अन्तर्पाशित है तथा कम्प्यूटरीकृत विजुअल डिस्प्ले यूनिट (VDU) से संचालित होते हैं। स्टेशन मास्टर पावर केबिन के कार्यालय में गाड़ियों के संचालन हेतु दो VDU (VDU-A व VDU-B) उपकरण लगा है। एक समय पर कोई एक ही VDU क्रियाशील रहेगा व दूसरा VDU स्टैन्डबाई के रूप में रहेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा सभी कांटे एवं सिगनल का संचालन VDU से किया जायेगा। वी.डी.यू पर कांटा, एवं ट्रैक सर्किटों के सहित ले आउट डायग्राम बनाया गया है। स्टेशन मास्टर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्टेशन के समस्त कलर लाइट/पोजीशन लाइट सिगनल अनवरत दिन-रात साधारण एवं सहायक नियम 3.49(2)(बी) के अनुसार जलते रहेंगे। स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट—‘बी’ का अनुलग्नक—II देखें।

- (1) अप एवं डाउन एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल के साथ इंटरलॉकिंग व्यवस्था इस प्रकार की है कि इस सिगनल को तब तक ‘ऑफ’ नहीं किया जा सकता है जब तक कि अगले ब्लॉक स्टेशन से ब्लॉक उपकरण पर ‘लाइन क्लीयर’ प्राप्त न कर लिया गया हो।
- (2) गाड़ी अप/डाउन एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल के आगे जैसे ही रिप्लेसर ट्रैक को घेरती है, तो ये सिगनल स्वतः ही ऑन स्थिति में हो जाता है। इस सिगनल को बाद वाली गाड़ी के लिए ‘ऑफ’ करने के लिए ब्लॉक उपकरण पर पुनः लाइन क्लीयर लेकर ही ‘ऑफ’ किया जा सकता है।
- (3) यह VDU (पी.सी.) कार्यरत पावर केबिन स्टेशन मास्टर/VDU पैनल द्वारा ऑपरेट किया जाता है जो गाड़ियों के आगमन, प्रस्थान एवं शंटिंग कार्य हेतु VDU (पी.सी.) से संचालित प्वाइन्टों, सिगनलों और शंट सिगनलों के सही संचालन के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। जब कभी स्टेशन मास्टर अपने कार्यालय से बाहर जाता है तो उसके द्वारा VDU (पी.सी.) को लॉक करने हेतु काउन्टर बाक्स से ‘एस.एम.—चाभी’ निकाल लेगा अब VDU (पी.सी.) से कोई संचालन सम्भव नहीं होगा। यद्यपि आफ किया हुआ सिगनल आन किया जा सकता है। ‘एस.एम.—चाभी’ कार्यरत स्टेशन मास्टर की निजी अभिरक्षा में रहेगी।

(स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट ‘बी’ का अनुलग्नक—X को देखें)

- (i) सिगनल/प्वाइंट को लीवर फ्रेम/कंट्रोल पैनल/वी०डी०यू०/सी०टी०सी० से संचालन विधि :-

गोरखपुर पावर केबिन के नियन्त्रण के अधीन यार्ड में प्वाइन्ट्स एवं सिगनलों के सभी आपरेशन पावर केबिन सुपरवाइजर के निर्देशानुसार स्टेशन मास्टर/VDU पैनल द्वारा VDU पर किया जायेगा।

पावर केबिन सुपरवाइजर लॉग रजिस्टर में सभी प्रकार के मूवमेन्ट्स की प्रविष्टियाँ दर्ज करेगा तथा ब्लाक वर्किंग के लिये उत्तरदायी कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर, पावर केबिन सुपरवाइजर के निर्देशानुसार ट्रेन सिगनल रजिस्टर में ट्रेन के सभी ट्रान्जेक्शनो को दर्ज करेगा।

कमशः पृष्ठ 9 पर

(ii) एक्सिल काउन्टर/ट्रैक सर्किट का रनिंग लाइनों में प्रावधान :-

इस स्टेशन पर गोरखपुर जं०-नकहा जंगल स्टेशन के मध्य एच.ए.एस.एस.डी.ए. सी. का प्रावधान है। गोरखपुर जं० -डोमिनगढ़ खण्ड में सतत ट्रैक सर्किटेड का प्रावधान है। गोरखपुर जं० -गोरखपुर कैंट खण्ड में सतत ट्रैक सर्किटेड व MSDAC का प्रावधान है। सभी रनिंग लाइने ट्रैक सर्किटेड है।

(iii) कालिंग आन सिगनल/आई0बी0एस0:-

क्र० सं०	कालिंग आन सिगनल संख्या	विवरण
1	अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-98	यह दक्षिणी लाइन के अप होम सिगनल सं० एस-100 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह अप राउटिंग होम सिगनल सं० एस-112/एस-86/एस-90/एस-96 तक आने के लिए है।
2	अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-102	यह उत्तरी लाइन के अप होम सिगनल सं० एस-104 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह अप राउटिंग होम सिगनल सं० एस-112/एस-86/एस-90/एस-96 तक आने के लिए है।
3	अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-114	यह III लाइन के अप होम सिगनल सं० एस-116 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह अप राउटिंग होम सिगनल सं० एस-112/एस-86/एस-90/एस-96 तक आने के लिए है।
4	अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-110	यह अप राउटिंग होम सिगनल सं० एस-112 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 1/2/47 तथा अप राउटिंग होम सिगनल सं० एस-86/एस-90 तक आने के लिए है।
5	अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-84	यह अप राउटिंग होम सिगनल सं० एस-86 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 3/4/5 में आने के लिए है।
6	अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-88	यह अप राउटिंग होम सिगनल सं० एस-90 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 6/7 में आने के लिए है।
7	अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-94	यह अप राउटिंग होम सिगनल सं० एस-96 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 16/17/18 तथा अप राउटिंग होम सिगनल सं० एस-108 तक आने के लिए है।
8	अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-106	यह अप राउटिंग होम सिगनल सं० एस-108 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 8/9/10/11 में आने के लिए है।
9	डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-11	यह उत्तरी लाइन के डाउन होम सिगनल सं० एस-9 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है। यह डाउन इनर होम सिगनल सं० एस-17 तक आने के लिए है।
10	डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-3	यह दक्षिणी लाइन के डाउन होम सिगनल सं० एस-1 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है। यह डाउन इनर होम सिगनल सं० एस-13 तक आने हेतु।
11	डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-19	यह उत्तरी लाइन के डाउन इनर होम सिगनल सं० एस-17 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है। यह लाइन सं० 1/2 तथा डाउन राउटिंग होम सिगनल सं० एस-35/एस-39/एस-43/एस-47 तक आने के लिए है।
12	डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-15	यह दक्षिणी लाइन के डाउन इनर होम सिगनल सं० एस-13 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 1/2 तथा डाउन राउटिंग होम सिगनल सं० एस-35/एस-39/एस-43 तक आने के लिए है।
13	डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-37	यह डाउन राउटिंग होम सिगनल सं० एस-35 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है। यह लाइन सं० 3/4/5 में आने के लिए है।

कमश: पृष्ठ 10 पर

14	डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-41	यह डाउन राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-39 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है। यह लाइन सं० 6/7 तथा डाउन राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-47 तक आने के लिए है।
15	डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-49	यह डाउन राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-47 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है। यह लाइन सं० 8/9/10/11 में आने के लिए है।
16	डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-45	यह डाउन राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-43 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है। यह लाइन सं० 16/17/18 में आने के लिए है।
17	डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-23	यह डाउन होम सिगनल सं० एस-21 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है। यह डाउन इनर होम सिगनल सं० एस-25/एस-29 तक आने के लिए है।
18	डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-27	यह डाउन इनर होम सिगनल सं० एस-25 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है। यह लाइन सं० 2 तथा डाउन राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-35/एस-39 तक आने के लिए है।
19	डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-31	यह डाउन इनर होम सिगनल सं० एस-29 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है। यह डाउन राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-47/एस-43 तक आने के लिए है।

(iv) फिक्सड वार्नर एवं स्टेशनों पर स्टाप बोर्ड :-

इस स्टेशन पर फिक्सड वार्नर सिगनलो की व्यवस्था नहीं है। नान-रनिंग मार्शलिंग लाइन सं० 12, 13, 14 व 15 के अप व डाउन छोर पर एक-एक कुल आठ स्टाप बोर्डों तथा समपार सं० 1 पर नान रनिंग लाइन हेतु तीन अप व तीन डाउन स्टाप बोर्डों का प्रावधान है।

(v) आपात क्रास ओवर :-

इस स्टेशन पर प्रावधान नहीं है।

(vi) स्थाई रुप से लाक किये गये कांटे :-

काटां सं०	विवरण	इण्डिकेटर लगे है या नहीं	सामान्य स्थिति	चाभी द्वारा नियंत्रित	मोटर संचालित अथवा यांत्रिक	ट्रैक-सर्किटेड अथवा नहीं	पृथकीकरण के साधन	आइसो-लेशन लाइनों के बीच	टिप्पणी
501	इकहरे एच.पी.के ताला युक्त कॉटे	नहीं	लाइन सं० 15 के लिये व लाइन सं० 16 को जाने वाले क्रासओवर के विरुद्ध सेट व लाकड	एसके	यान्त्रिकी	हां	कांटा सेट करके	लाइन सं० 15 एवं 16	चाभी 'एसके' कांटा सं० 501ए के ताले में लाकड रहती है।
501ए	दोहरे एच.पी.के ताला युक्त कॉटे	नहीं	लाइन सं० 16 के लिये व लाइन सं० 15 को जाने वाले क्रासओवर के विरुद्ध सेट व लाकड	'एफ-1'	यान्त्रिकी	हां	कांटा सेट करके	लाइन सं० 16 एवं 15	चाभी 'एफ-1' वी.डी.यू. पैनल के बटन 523 द्वारा नियंत्रित

नोट :-की लाकिंग फेल हो जाने पर कांटा सं० 501 को नार्मल स्थिति में क्लैम्प व पैड लाक करके उसको स्थायी रुप से ताला बन्द कॉटे मानकर पैड लाक की चाभियों कार्यरत स्टेशन मास्टर/पैनल अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेगा।

क्रमशः पृष्ठ 11 पर

- (vii) यांत्रिक रूप से संचालित स्टेशनों पर मोटर द्वारा परिचालित कांटे :
इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है ।
- (viii) आपात/क्रेक हैण्डल चाभियों और उनकी अभिरक्षा :
इस स्टेशन के संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' में दिया गया है ।
- (ix) कांटे/ट्रेप कांटे/सिगनल/एक्सल काउन्टर/ट्रेक सर्किट के संकेत (इलेक्ट्रिक/बैनर किसम के) –
- (अ) कांटा और सिगनल:-
सभी कांटे विद्युतीय परिचालित कांटे हैं जो अपेक्षित रूट के लिए स्वचालित रूप से सेट हो जाते हैं, जब VDU (पी.सी.) द्वारा सम्बन्धित सिगनल पर माउस द्वारा कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करने पर प्राप्त मीनू पर सम्बन्धित लाइन के रूट पर माउस से कर्सर ले जाकर लेफ्ट क्लिक करने पर सम्बन्धित लाइन का सिगनल आफ हो जाएगा व रास्ते के कांटे स्वतः सेट और लाक हो जाएंगे। सिगनल आफ न होने के मामले में लगे हुए संकेतक द्वारा कांटे की जांच की जाएगी। कांटे/कांटों के अपेक्षित रूट में स्वचालित रूप से सेट न होने के मामले में प्रत्येक कांटे को व्यक्तिगत रूप से परिचालित किया जाएगा। यदि कांटे व्यक्तिगत रूप से परिचालित करने पर भी सेट न हों तो क्रेन्क हैण्डल प्रक्रिया द्वारा इन्हें अपेक्षित स्थिति में सेट किया जा सकता है। प्रत्येक कांटे को व्यक्तिगत रूप से अथवा क्रेन्क हैण्डलिंग द्वारा परिचालित करने पर भी अपेक्षित सिगनल आफ न होने पर सम्बन्धित सिगनल को खराब समझा जाएगा और खराब सिगनलों से गाड़ियों को पास कराने की कार्रवाई की जाएगी। विस्तृत विवरण हेतु स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' देखें।
- (ब) (ब) ट्रेप कांटा संकेत:-
—कोई नहीं—
- (स) एक्सल काउन्टर के संकेत:-
गोरखपुर जं०—नकहा जंगल स्टेशन के मध्य तथा गोरखपुर कैंट—गोरखपुर जं० प्रखण्ड में लगे एक्सल काउन्टर हेतु एक्सल काउन्टर बाक्स का प्रावधान है। एक्सल काउन्टर संकेत के विस्तृत विवरण हेतु स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी', अनुलग्नक—VIII व अनुलग्नक—IX देखें।
- (द) ट्रेक सर्किट इंडीकेशन:
वी.डी.यू. डायग्राम पर ट्रेक सर्किट के संकेतों को दर्शाया गया है। ट्रेक सर्किट रूल डायग्राम और वी.डी.यू. डायग्राम पर चित्रित अनुसार उपयुक्त साइज में विभाजित है। रूल डायग्राम के अनुसार ट्रेक सर्किटेड यार्ड को स्माल ट्रेक सर्किट के उचित नम्बर से विभाजित किया गया है और इन्हें VDU (पी.सी.) पर डिमाक्रेट किया गया है। सभी ट्रेक सर्किटों के लिए वी.डी.यू. डायग्राम में इनके प्रदीप्त संकेत लगे हैं। सभी ट्रेक सर्किटों की स्थिति स्टेशन मास्टर के कार्यालय में लगे VDU (पी.सी.) पर दिखाई गई है। ट्रेक सर्किटेड लाइनों को VDU (पी.सी.) पर ट्रेक सर्किटों को दर्शाते हुए विभिन्न रंगों द्वारा दर्शाया गया है।

क्रमशः पृष्ठ 12 पर

इनको पीली व लाल स्लिट बत्तियां लगे ट्रैक सर्किट इंडीकेशन के द्वारा दर्शाया गया है। सामान्यतः ये इन्डीकेशन बुझे रहते हैं, जब रूट सेट व लॉक हो जाता है तो ओवर लैप सहित उस विशेष रूट के सभी सेक्शनों की 'पीली' लाइट जल जाती हैं और जब गाड़ी ट्रैक सेक्शन पर आ जाती है तो इसकी 'पीली' लाइट के स्थान पर 'लाल' लाइट हो जाती है जो यह संकेत देती है कि ट्रैक पर गाड़ी है और ट्रैक सेक्शन से गाड़ी के निकल जाने पर लाल लाइट बुझ जाती है व पीली लाइट पुनः दिखाई देगी और यह रूट रिलीज होने पर ही बुझेगी। यदि पावर फेल हो जाये तो कोई भी संकेत नहीं रहेगा।

(य) कांटो का संकेत :

परिशिष्ट "बी" में दिए विवरण के अनुसार कांटा के समीप प्रदीप्त संकेतों के माध्यम से कांटों की सामान्य एवं विपरीत स्थिति वी.डी.यू. पर दर्शाये गए हैं।

(x) कांटे/सिगनल/गेट कंट्रोल स्वीचों का उपयोग करते हुए रूट सेंटिंग के लिये लीवर फ्रेम/नियंत्रण पैनल वीडियो डिस्प्ले यूनिट :

स्टेशन के संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" में दिया गया है।

(xi) कांटों का पृथक परिचालन :

स्टेशन के संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" में दिया गया है।

(xii) स्टेशन सीमा के भीतर गेटों का परिचालन :

इस स्टेशन के संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "ए" में दिया गया है।

(xiii) कैंक हैंडिल एवं केएलसीआर का उपयोग करते हुए कांटों की सेटिंग

जब आपरेटिंग वी.डी.यू. द्वारा कांटो को न सेट किया जा सकता हो अथवा मोटर मशीन द्वारा आपरेट करने पर कांटा सेट न होने पर कांटो को कैंक हैंडिल द्वारा सेट किया जाएगा। कैंक हैंडिल चाभी यार्ड में विभिन्न लोकेशनों व स्टेशन मास्टर कार्यालय में कैंक हैंडिल बाक्स में उपलब्ध है। इस कार्य के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर वी.डी.यू. स्क्रीन पर सम्बन्धित कांटा मीनू पर 'कैंक हैंडिल रिलीज' विकल्प सेलेक्ट करेगा। वी.डी.यू. पर कैंक हैंडिल लाक संकेतक फ्लैशिंग पीला जल जाएगा। स्टे.मा कार्यालय/लाकेशनों में लगे कैंक हैंडिल बाक्स में सम्बन्धित के.एल.सी.आर. लाक पर एक एल.ई.डी. संकेतक जल जायेगा। सम्बन्धित के.एल.सी.आर. के कैंक हैंडिल बाक्स से स्टे.मा., सम्बन्धित चाभी को मुक्त करने के लिए पुश बटन को दबायेगा। के.एल.सी.आर. लाक से चाभी को निकाल लिया जाएगा। वी.डी.यू. पर स्थायी लाल कैंक हैंडिल रिलीज संकेतक जल जायेगा। स्टेशन स्टाफ द्वारा जिस कांटे को परिचालित करना है उस पर पहुँचेगा कैंक हैंडिल चाभी के प्लैप ढक्कन तथा कैंक हैंडिल छेद को कांटा मशीन प्लैप कबर चाभी से खोलेगा। इसके बाद के.एल.सी.आर. चाभी को मशीन में डालेगा, कैंक हैंडिलिंग ढक्कन खोलने के लिए क्लाक वाइज घुमाएगा और कांटा को कैंक हैंडिलिंग द्वारा अपेक्षित दशा में लाक होने तक परिचालित किया जाएगा। कैंक हैंडिलिंग के बाद स्टेशन स्टाफ कैंक हैंडिल व सम्बन्धित के.एल.सी.आर. चाभी के साथ स्टे.मा. कक्ष/लोकेशन पर वापस आयेगा। स्टेशन स्टाफ के.एल.सी.आर. चाभी को स्टे.मा कक्ष/लोकेशन के सम्बन्धित कैंक हैंडिल बाक्स में लगे के.एल.सी.आर. में डालेगा तथा एन्टी क्लाक वाइज घुमाएगा। वी.डी.यू. पर फ्लैशिंग पीला कैंक हैंडिल लाक संकेतक जल जायेगा। कैंक हैंडिल को स्टे.मा कक्ष में कैंक हैंडिल बाक्स में रख दिया जायेगा।

कमशः पृष्ठ 13 पर

उसके बाद कार्यरत स्टे.मा. वी.डी.यू. स्क्रीन पर प्वाइंट मीनू के सम्बन्धित कांटे के 'क्रैंक हैन्डिल लाक' विकल्प पर क्लिक करेगा। इससे क्रैंक हैन्डिल लाक हो जायेगा और क्रैंक हैन्डिल लाक संकेतक (स्थायी पीला) वी.डी.यू. पर प्रदर्शित होगा। कांटो की क्रैंक हैन्डिलिंग के बाद नीचे दिए अनुसार दो स्थितियां उत्पन्न होंगी -

- (i) कांटा का अपेक्षित संकेत आपरेशन वी.डी.यू. पर दिखाई देगा तो ऐसे मामले में गाडी को प्रापर सिगनलों पर पास किया जाएगा।
- (ii) कांटो का अपेक्षित संकेत आपरेशन वी.डी.यू. पर नहीं दिखाई पड़ता और सिगनल आफ न हो रहा हो तो सम्बन्धित कांटो को स्विच क्लैप और पैडलाकड किया जाएगा और गाडी को टी/369-(3बी) के प्राधिकार पर पायलट किया जाएगा। संचालन पूर्ण हो जाने के बाद वी.डी.यू. आपरेशन द्वारा यदि कांटो नार्मलाइज न किया जा सकता हो तो क्रैंक हैन्डिल द्वारा नार्मल पोजीशन में सेट किया जाएगा।

टिप्पणी :

- (i) प्रत्येक बार जब विद्युत कांटा मशीन से संचालित कांटों के टेस्टिंग हेतु अथवा हाथ द्वारा संचालन के लिए के.एल.सी.आर. चाभी निकाला जाये तब इस आशय की प्रविष्टि कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा इस उद्देश्य से बनाये गये रजिस्टर में स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" अनुलग्नक-I में दिये गये प्रोफार्मा के अनुसार की जायेगी।
- (ii) जब भी के.एल.सी.आर. चाभी संकेत एवं दूरसंचार कर्मचारी को अनुरक्षण या टेस्टिंग इत्यादि हेतु दिया जाये तो सम्बन्धित कांटे का वियोजन निर्धारित प्रारूप पर अवश्य लिया जाये, जिसका रख रखाव अलग से रखा जाये।
- (iii) सम्बन्धित सिगनल विभाग के कर्मचारी से रिकनेक्शन मेंमों के साथ क्रैंक हैन्डिल प्राप्त होने पर सामान्य कार्य प्रणाली अपनायी जाये।
- (iii) डिस्कनेक्शन की अवधि में गाड़ियों का परिचालन साधारण एवं सहायक नियम 3.69(1)(3) एवं 3.70(1)(2) के अनुसार करें।
- (iv) स्टेशन मास्टर कक्ष में उपलब्ध दोनों वीडियू के फेल/नो-लाइट हो जाने की दशा में वीडियू फेल चाभी को काउण्टर बाक्स पर उपलब्ध स्लाट में लगाकर घुमा देने पर वीडियू फेल का इन्डीकेशन प्राप्त होगा। इन्डीकेशन प्राप्त होने के पश्चात आपातकालीन क्रैंक हैन्डिल चाभी को घुमा दिया जायेगा। आपातकालीन क्रैंक हैन्डिल चाभी घुमा देने पर 120 सेकेण्ड के बाद सभी क्रैंक हैन्डिल चाभियों पर फ्री का इन्डीकेशन प्राप्त हो जायेगा व चाभियों उपयोग हेतु मुक्त हो जायेंगी एवं सम्बन्धित काउन्टर पर एक नम्बर बढ़ेगा। इसकी प्रविष्टि परिचालन विभाग के कर्मचारी द्वारा काउण्टर रजिस्टर में की जायेगी।

(XIV) आपातकालीन संचालन के लिये उपलब्ध वीडर काउन्टर :

1. सुपर इमरजेन्सी रुट रिलीज वीडर काउन्टर (ईयूवाईएन)।
2. नार्मल रुट कौन्सिलेशन वीडर काउन्टर (ईयूवाईएन)।
3. कालिंग आन सिगनल वीडर काउन्टर (सीओ)।
4. आपातकालीन सिगनल रिप्लेसमेन्ट वीडर काउन्टर (ईजीजीएन)

क्रमशः पृष्ठ 14 पर

5. क्रेन्क हैण्डिल वीडर गणक (सीएच)।
6. आपातकाल में कांटा संचालन काउन्टर (ईडब्ल्यूएन)।
7. आपातकालीन क्रेन्क हैण्डिल काउन्टर (ईसीएच)
8. एक्सल काउन्टरों का वीडर काउन्टर (रिसेट बाक्सों में)।
9. लाइन क्लीयर कैंन्सीलेशन ब्लाक पैनलों/यंत्र हेतु वीडर काउन्टर।
10. सी.एच.जी.-1(समपार सं. 1) क्रेन्क हैण्डिल वीडर काउन्टर।
11. सी.एच.जी.-2 (समपार सं. 2) क्रेन्क हैण्डिल वीडर काउन्टर।

टिप्पणी: स्टेशन मास्टर/पैनल वीडर काउन्टर रजिस्टर को वीडर काउन्टर द्वारा दर्शायी गयी संख्या के अनुसार अद्यतन रखेंगे।

(विस्तृत विवरण इस स्टेशन संचालन नियम में संलग्न सिगनलिंग परिशिष्ट 'बी' को देखें)

(XV) गाड़ी बचाव और चेतावनी प्रणाली (टी.पी.डब्ल्यूएस.) तथा टक्कर रोधी उपकरण (ए.सी.डी) की कार्य विधि :-

इस स्टेशन पर उपलब्ध नहीं है ।

(Xvi) बर्थिंग पोर्शन और आई.बी.एस. सेक्शन पर एक्सल काउन्टर की खराबी के मामले में रीसेटिंग की पद्धति :-

इस स्टेशन के संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' में दिया गया है ।

(Xvii) कांटो का आपात संचालन :

इस स्टेशन के संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' में दिया गया है ।

(Xviii) आपात मार्ग रद्दीकरण :

इस स्टेशन के संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' में दिया गया है ।

(Xix) ब्लाक की क्लियरिंग :

कार्यरत स्टेशन मास्टर/वी.डी.यू. पैनल स्टेशन पर उपलब्ध नकहा जंगल छोर के ब्लाक खण्ड हेतु एच.ए.एस.एस.डी.ए.सी. की लघु हरी प्रकाश बत्ती के द्वारा तथा डोमिनगढ़ छोर हेतु सत्त ट्रैक सर्किट के क्लीयर इण्डिकेशन एवं गोरखपुर कैंट छोर हेतु सत्त ट्रैक सर्किट/एम.एस.डी.ए.सी. के क्लीयर इण्डिकेशन के द्वारा ब्लाक की क्लियरिंग सुनिश्चित करेंगे। इण्डिकेशन की विफलता की दशा में गाड़ी का पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही ब्लाक की क्लियरिंग सुनिश्चित करेंगे।

(देखें सा० एवं स०नियम 4.17)

4.1.1 अप आगमन सिगनल :-

(1) दक्षिण लाइन (गोरखपुर कैंट छोर) :-

अप डिस्टेन्ट(जी०के०पी०)/अप अग्रिम प्रस्थान (जी०के०सी०) सिगनल सं० एस-14 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है।

अप होम सिगनल सं० एस-100 :-

इसकी सामान्य स्थिति लाल है।

पीला संकेती जंक्शन इण्डिकेटर के साथ निम्न संकेत इंगित करता है:-

लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/7/47 के लिये जंक्शन इण्डिकेटर रहित।

लाइन सं० 8/9/10/11/16/17/18 के लिये दौया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

क्रमशः पृष्ठ 15 पर

(2) उत्तर लाइन (गोरखपुर कैण्ट छोर):-अप होम सिगनल सं० एस-104 :-

इसकी सामान्य स्थिति लाल है।

पीला संकेती जंक्शन इण्डिकेटर के साथ निम्न संकेत इंगित करता है:-

लाइन सं० 1/2/47 के लिये बाँया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 3/4/5 के लिये जंक्शन इण्डिकेटर रहित।

लाइन सं० 6/7 के लिये प्रथम दाँया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 8/9/10/11/16/17/18 के लिये अंतिम दाँया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

(3) III लाइन (गोरखपुर कैण्ट छोर):-अप होम सिगनल सं० एस-116 :-

लाइन सं० 6/7 के लिये प्रथम बाँया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 3/4/5 के लिये द्वितीय बाँया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 1/2/47 के लिये अन्तिम बाँया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 8/9/10/11/16/17/18 के लिये जंक्शन इण्डिकेटर रहित।

(4) (क) अप राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-86 :-

इसकी सामान्य स्थिति लाल है।

पीला संकेती जंक्शन रुट इण्डिकेटर के साथ निम्न संकेत इंगित करता है:-

लाइन सं० 3 के लिये जंक्शन इण्डिकेटर रहित।

लाइन सं० 4 के लिये प्रथम दाँया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 5 के लिये अन्तिम दाँया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

(ख) अप राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-90 :-

इसकी सामान्य स्थिति लाल है।

पीला संकेती जंक्शन इण्डिकेटर के साथ निम्न संकेत इंगित करता है:-

लाइन सं० 6 के लिये जंक्शन इण्डिकेटर रहित।

लाइन सं० 7 के लिये जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

(ग) अप राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-96 :-

इसकी सामान्य स्थिति लाल है।

पीला संकेती जंक्शन इण्डिकेटर के साथ निम्न संकेत इंगित करता है:-

लाइन सं० 8/9/10/11 के लिये बाँया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 16 के लिये जंक्शन इण्डिकेटर रहित।

लाइन सं० 17 के लिये प्रथम दाँया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 18 के लिये अन्तिम दाँया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

क्रमशः पृष्ठ 16 पर

(घ) अप राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-108 :-

लाइन सं० 9 के लिये प्रथम बॉया जंक्शन रुट इण्डीकेटर सहित।
 लाइन सं० 8 के लिये अन्तिम बॉया जंक्शन रुट इण्डीकेटर सहित।
 लाइन सं० 10 के लिये जंक्शन इण्डीकेटर रहित।
 लाइन सं० 11 के लिये दॉया जंक्शन रुट इण्डीकेटर सहित।

(इ) अप राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-112 :-

लाइन सं० 1 के लिये प्रथम बॉया जंक्शन रुट इण्डीकेटर सहित।
 लाइन सं० 47 के लिये अन्तिम बॉया जंक्शन रुट इण्डीकेटर सहित।
 लाइन सं० 2 के लिये जंक्शन इण्डीकेटर रहित।
 लाइन सं० 3/4/5 के लिये प्रथम दॉया जंक्शन रुट इण्डीकेटर सहित।
 लाइन सं० 6/7 के लिये अन्तिम दॉया जंक्शन रुट इण्डीकेटर सहित।

4.1.2 अप प्रस्थान सिगनल :-

- (i) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-82 बिना जंक्शन रुट इण्डीकेटर के लाइन सं० 1 (पूरब) से लाइन सं० 1 (पश्चिम) में प्रस्थान हेतु।
- (ii) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-82 जंक्शन रुट इण्डीकेटर के साथ लाइन सं० 1 (पूरब) से लाइन सं० 2 (पश्चिम) में प्रस्थान हेतु।
- (iii) अप स्टार्टर सिगनल सं० एस-52 स्टैन्सिल टाइप इण्डीकेटर में अंग्रेजी का अक्षर "एस" प्रज्ज्वलित होने पर लाइन सं० 1 (पश्चिम) से साऊथ लाइन द्वारा डोमिनगढ़ को प्रस्थान हेतु।
- (iv) अप स्टार्टर सिगनल सं० एस-52 स्टैन्सिल टाइप इण्डीकेटर में अंग्रेजी का अक्षर "एन" प्रज्ज्वलित होने पर लाइन सं० 1 (पश्चिम) से उत्तर लाइन द्वारा डोमिनगढ़ को प्रस्थान हेतु।
- (v) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-80 बिना जंक्शन रुट इण्डीकेटर के लाइन सं० 2 (पूरब) से लाइन सं० 2 (पश्चिम) में प्रस्थान हेतु।
- (vi) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-80 जंक्शन रुट इण्डीकेटर के साथ लाइन सं० 2 (पूरब) से लाइन सं० 1 (पश्चिम) में प्रस्थान हेतु।
- (vii) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-50 स्टैन्सिल टाइप इण्डीकेटर में अंग्रेजी का अक्षर "एस" प्रज्ज्वलित होने पर लाइन सं० 2 (पश्चिम) से साऊथ लाइन द्वारा डोमिनगढ़ को प्रस्थान हेतु।
- (viii) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-50 स्टैन्सिल टाइप इण्डीकेटर में अंग्रेजी का अक्षर "एन" प्रज्ज्वलित होने पर लाइन सं० 2 (पश्चिम) से उत्तर लाइन द्वारा डोमिनगढ़ को प्रस्थान हेतु।
- (ix) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-50 स्टैन्सिल टाइप इण्डीकेटर में अंग्रेजी का अक्षर "बी" प्रज्ज्वलित होने पर लाइन सं० 2 (पश्चिम) से नकहाजंगल को प्रस्थान हेतु।

कमशः पृष्ठ 17 पर

- [illegible]

कमशः पृष्ठ 19 पर

- (xxxx) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-74 स्टैन्सिल टाइप इण्डीकेटर में अंग्रेजी का अक्षर "एस" प्रज्ज्वलित होने पर लाइन सं० 16 से साऊथ लाइन द्वारा डोमिनगढ़ को प्रस्थान हेतु।
- (xxxxi) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-74 स्टैन्सिल टाइप इण्डीकेटर में अंग्रेजी का अक्षर "एन" प्रज्ज्वलित होने पर लाइन सं० 16 से उत्तर लाइन द्वारा डोमिनगढ़ को प्रस्थान हेतु।
- (xxxxii) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-74 स्टैन्सिल टाइप इण्डीकेटर में अंग्रेजी का अक्षर "बी" प्रज्ज्वलित होने पर लाइन सं० 16 से नकहाजंगल को प्रस्थान हेतु।
- (xxxxiii) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-76 स्टैन्सिल टाइप इण्डीकेटर में अंग्रेजी का अक्षर "एस" प्रज्ज्वलित होने पर लाइन सं० 17 से साऊथ लाइन द्वारा डोमिनगढ़ को प्रस्थान हेतु।
- (xxxxiv) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-76 स्टैन्सिल टाइप इण्डीकेटर में अंग्रेजी का अक्षर "एन" प्रज्ज्वलित होने पर लाइन सं० 17 से उत्तर लाइन द्वारा डोमिनगढ़ को प्रस्थान हेतु।
- (xxxxv) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-76 स्टैन्सिल टाइप इण्डीकेटर में अंग्रेजी का अक्षर "बी" प्रज्ज्वलित होने पर लाइन सं० 17 से नकहाजंगल को प्रस्थान हेतु।
- (xxxxvi) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-78 स्टैन्सिल टाइप इण्डीकेटर में अंग्रेजी का अक्षर "एस" प्रज्ज्वलित होने पर लाइन सं० 18 से साऊथ लाइन द्वारा डोमिनगढ़ को प्रस्थान हेतु।
- (xxxxvii) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-78 स्टैन्सिल टाइप इण्डीकेटर में अंग्रेजी का अक्षर "एन" प्रज्ज्वलित होने पर लाइन सं० 18 से उत्तर लाइन द्वारा डोमिनगढ़ को प्रस्थान हेतु।
- (xxxxviii) अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-78 स्टैन्सिल टाइप इण्डीकेटर में अंग्रेजी का अक्षर "बी" प्रज्ज्वलित होने पर लाइन सं० 18 से नकहाजंगल को प्रस्थान हेतु।
- 4.1.3 अप इण्टरमीडिएट प्रस्थान सिगनल सं० एस-46 (नकहा जंगल छोर में लाइन पर) का पीला संकेत अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-22 के पीले/हरे संकेत व समपार सं० 1 की बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियन्त्रित है।
- 4.1.4 अप इण्टरमीडिएट प्रस्थान सिगनल सं० एस-48 (नकहा जंगल छोर पर) का पीला/हरा संकेत अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-22 के पीले या हरे संकेत व समपार सं० 1 की बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियन्त्रित है।
- 4.1.5 अप अग्रिम प्रस्थान/अप गेट डिस्टेन्ट (समपार सं० 3)/अप डिस्टेन्ट (नकहा जंगल) सिगनल सं० एस-22 (नकहा जंगल छोर पर) का पीला संकेत टोकेन लेस ब्लाक यन्त्र व एच.ए.एस.एस.डी.ए.सी. तथा समपार सं० 2 के बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियन्त्रित है। हरा संकेत सिगनल सं० 1 आर के हरे या पीले संकेत एवं टोकेन लेस ब्लाक यन्त्र व एच.ए.एस.एस.डी.ए.सी. तथा समपार सं० 2 के बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियन्त्रित है।

क्रमशः पृष्ठ 20 पर

- 4.1.6 अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 (दक्षिण लाइन डोमिनगढ़ छोर पर) का पीला संकेत टोकेन लेस ब्लाक पैनल (दक्षिण लाइन) द्वारा नियन्त्रित है तथा हरा संकेत अप होम सिगनल सं० एस-18 (डोमिनगढ़) के हरा संकेत एवं टोकेन लेस ब्लाक पैनल (दक्षिण लाइन) द्वारा नियन्त्रित है।
- 4.1.7 अप अग्रिम प्रस्थान सं० एस-10 (उत्तर लाइन डोमिनगढ़ छोर पर) का पीला संकेत टोकेन लेस ब्लाक पैनल (उत्तर लाइन) द्वारा नियन्त्रित है।

4.1.8 डाउन आगमन सिगनल :-

(1). दक्षिण लाइन (डोमिनगढ़ छोर) :-

डाउन डिस्टेन्ट(जी०के०पी०)/डाउन अग्रिम प्रस्थान (डोमिनगढ़) सिगनल सं० एस-17 :-

इसका एक पीला आस्पेक्ट गोरखपुर-डोमिनगढ़ के टोकेनलेस ब्लाक पैनल दक्षिण लाइन तथा समपार सं० 162 के बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियंत्रित है। इसका दो पीला आस्पेक्ट गोरखपुर-डोमिनगढ़ के टोकेनलेस ब्लाक पैनल दक्षिण लाइन तथा समपार सं० 162 के बन्द व लाक स्थिति एवं गोरखपुर स्टेशन के दक्षिण लाइन डाउन होम सिगनल सं० एस-1 के आफ आस्पेक्ट द्वारा नियंत्रित है।

डाउन होम सिगनल सं० एस-1 :-

इसकी सामान्य स्थिति लाल है।

डाउन इनर होम सिगनल सं० एस-13 :-

इसकी सामान्य स्थिति लाल है।

पीला संकेती जंक्शन इण्डीकेटर के साथ निम्न संकेत इंगित करता है:-

लाइन सं० 1 के लिये प्रथम बायां जंक्शन रुट इण्डीकेटर सहित।

लाइन सं० 2 के लिये जंक्शन इण्डीकेटर रहित।

लाइन सं० 3/4/5 के लिये प्रथम बायां जंक्शन रुट इण्डीकेटर सहित।

लाइन सं० 6/7/8/9/10/11 के लिये द्वितीय बायां जंक्शन रुट इण्डीकेटर सहित।

लाइन सं० 16/17/18 के लिये अंतिम बायां जंक्शन रुट इण्डीकेटर सहित।

(2). उत्तर लाइन (डोमिनगढ़ छोर) :-

डाउन डिस्टेन्ट(जी०के०पी०)/अग्रिम प्रस्थान (डोमिनगढ़) सिगनल सं० एस-13 :-

इसका एक पीला आस्पेक्ट गोरखपुर-डोमिनगढ़ के टोकेनलेस ब्लाक पैनल उत्तर लाइन तथा समपार सं० 162 के बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियंत्रित है। इसका दो पीला आस्पेक्ट गोरखपुर-डोमिनगढ़ के टोकेनलेस ब्लाक पैनल उत्तर लाइन तथा समपार सं० 162 के बन्द व लाक स्थिति एवं गोरखपुर स्टेशन के उत्तर लाइन डाउन होम सिगनल सं० एस-9 के आफ आस्पेक्ट द्वारा नियंत्रित है।

डाउन होम सिगनल सं० एस-9 :-

इसकी सामान्य स्थिति लाल है।

कमशः पृष्ठ 21 पर

डाउन इनर होम सिगनल सं० एस-17 :-

इसकी सामान्य स्थिति लाल है।

पीला संकेती जंक्शन इण्डिकेटर के साथ निम्न संकेत इंगित करता है:-

लाइन सं० 2 के लिये प्रथम दौया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 1 के लिये अन्तिम दौया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 3/4/5 के लिये जंक्शन इण्डिकेटर रहित।

लाइन सं० 6/7 के लिये प्रथम बाँया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 8/9/10/11 के लिये द्वितीय बाँया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 16/17/18 के लिये अंतिम बाँया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

(3). डाउन आगमन सिगनल (नकहा जंगल छोर) :-**डाउन डिस्टेन्ट (जी०के०पी०)/डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (नकहा जंगल) सं० एस-37:-**

इसकी सामान्य स्थिति लाल है।

इसका आफ आस्पेक्ट डायडो टाइप टोकनलेस विद्युत ब्लाक यन्त्र तथा समपार सं० 3 की बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियन्त्रित है।

डाउन होम सिगनल सं० एस-21 :-

इसकी सामान्य स्थिति लाल है।

पीला संकेती जंक्शन इण्डिकेटर के साथ निम्न संकेत इंगित करता है:-

लाइन सं० 8/9/10/11/16/17/18 के लिये जंक्शन इण्डिकेटर रहित।

लाइन सं० 2/3/4/5/6/7 के लिये जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

डाउन इनर होम सिगनल सं० एस-25 :-

इसकी सामान्य स्थिति लाल है।

पीला संकेती जंक्शन इण्डिकेटर के साथ निम्न संकेत इंगित करता है:-

लाइन सं० 6/7 के लिये बाँया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 2 के लिये दौया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 3/4/5 के लिये जंक्शन रुट इण्डिकेटर रहित।

डाउन इनर होम सिगनल सं० एस-29 :-

इसकी सामान्य स्थिति लाल है।

पीला संकेती जंक्शन इण्डिकेटर के साथ निम्न संकेत इंगित करता है:-

लाइन सं० 16/17/18 के लिये बाँया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 8/9/10/11 के लिये दौया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

4.1.10 डाउन राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-43 :-

इसकी सामान्य स्थिति लाल है।

पीला संकेती जंक्शन इण्डिकेटर के साथ निम्न संकेत इंगित करता है:-

लाइन सं० 17 के लिये प्रथम दौया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 16 के लिये अन्तिम दौया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 18 के लिये जंक्शन रुट इण्डिकेटर रहित।

क्रमशः पृष्ठ 22 पर

डाउन राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-47 :-

इसकी सामान्य स्थिति लाल है।

पीला संकेती जंक्शन इण्डिकेटर के साथ निम्न संकेत इंगित करता है:-

लाइन सं० 10 के लिये प्रथम दौया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 9 के लिये द्वितीय दौया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 8 के लिये अन्तिम दौया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 11 के लिये जंक्शन रुट इण्डिकेटर रहित।

डाउन राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-39 :-

इसकी सामान्य स्थिति लाल है।

पीला संकेती जंक्शन इण्डिकेटर के साथ निम्न संकेत इंगित करता है:-

लाइन सं० 7 के लिये प्रथम बाँया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 8/9/10/11 के लिये अन्तिम बाँया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 6 के लिये जंक्शन रुट इण्डिकेटर रहित।

डाउन राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-35 :-

इसकी सामान्य स्थिति लाल है।

पीला संकेती जंक्शन इण्डिकेटर के साथ निम्न संकेत इंगित करता है:-

लाइन सं० 4 के लिये प्रथम बाँया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 5 के लिये अन्तिम बाँया जंक्शन रुट इण्डिकेटर सहित।

लाइन सं० 3 के लिये जंक्शन रुट इण्डिकेटर रहित।

4.1.11 डाउन प्रस्थान सिगनल :-

- (i) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-81 बिना जंक्शन रुट इण्डिकेटर के लाइन सं० 2 (पश्चिम) से लाइन सं० 2 (पूरब) में प्रस्थान हेतु।
- (ii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-81 जंक्शन रुट इण्डिकेटर के साथ लाइन सं० 2 (पश्चिम) से लाइन सं० 1 (पूरब) में प्रस्थान हेतु।
- (iii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-83 बिना जंक्शन रुट इण्डिकेटर के लाइन सं० 1 (पश्चिम) से लाइन सं० 1 (पूरब) में प्रस्थान हेतु।
- (iv) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-83 जंक्शन रुट इण्डिकेटर के साथ लाइन सं० 1 (पश्चिम) से लाइन सं० 2 (पूरब) में प्रस्थान हेतु।
- (v) डाउन स्टार्टर सिगनल सं० एस-53 स्टैन्सिल टाइप इण्डिकेटर में अंग्रेजी का अक्षर "एस" प्रज्ज्वलित होने पर लाइन सं० 1 (पूरब) से साऊथ लाइन द्वारा गोरखपुर कैण्ट को प्रस्थान हेतु।
- (vi) डाउन स्टार्टर सिगनल सं० एस-53 स्टैन्सिल टाइप इण्डिकेटर में अंग्रेजी का अक्षर "एन" प्रज्ज्वलित होने पर लाइन सं० 1 (पूरब) से उत्तर लाइन द्वारा गोरखपुर कैण्ट को प्रस्थान हेतु।
- (vii) डाउन स्टार्टर सिगनल सं० एस-53 स्टैन्सिल टाइप इण्डिकेटर में अंग्रेजी का अक्षर "टी" प्रज्ज्वलित होने पर लाइन सं० 1 (पूरब) से III लाइन द्वारा गोरखपुर कैण्ट को प्रस्थान हेतु।
- (viii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-51 स्टैन्सिल टाइप इण्डिकेटर में अंग्रेजी का अक्षर "एस" प्रज्ज्वलित होने पर लाइन सं० 2 (पूरब) से साऊथ लाइन द्वारा गोरखपुर कैण्ट को प्रस्थान हेतु।
- (ix) डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-51 स्टैन्सिल टाइप इण्डिकेटर में अंग्रेजी का अक्षर "एन" प्रज्ज्वलित होने पर लाइन सं० 2 (पूरब) से उत्तर लाइन द्वारा गोरखपुर कैण्ट को प्रस्थान हेतु।

कमशः पृष्ठ 23 पर

- [illegible]

क्रमशः पृष्ठ 24 पर

- [illegible]

क्रमशः पृष्ठ 25 पर

- [illegible]

क्रमशः पृष्ठ 26 पर

4.1.12 दक्षिण लाइन पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-99:-

पीला संकेत टोकनलेस ब्लॉक पैनल साऊथ लाइन द्वारा नियन्त्रित है।

दो पीला संकेत डाउन होम सिगनल सं० एस-13(गोरखपुर कैण्ट) के आफ आस्पेक्ट द्वारा नियन्त्रित है।

4.1.13 उत्तर लाइन पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-103:-

पीला संकेत टोकनलेस ब्लॉक पैनल उत्तर लाइन द्वारा नियन्त्रित है।

दो पीला संकेत डाउन होम सिगनल सं० एस-1(गोरखपुर कैण्ट) के आफ आस्पेक्ट द्वारा नियन्त्रित है।

4.1.13 III लाइन पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-115:-

पीला संकेत टोकनलेस ब्लॉक पैनल उत्तर लाइन द्वारा नियन्त्रित है।

दो पीला संकेत डाउन होम सिगनल सं० एस-9(गोरखपुर कैण्ट) के आफ आस्पेक्ट द्वारा नियन्त्रित है।

4.1.14 अतिरिक्त सिगनल :

4.1.14.1 शंट सिगनल ग्राउन्ड फ्रेम से संचालित (गोरखपुर कैण्ट छोर) :-

1	डाउन शंट सिगनल सं० [2] स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त है एवं 8 लीवर ग्राउन्ड फ्रेम से संचालित।	लाइन सं० 20/21/22/23/48 से लाइन सं० 27 या 28 में अथवा डाउन शंट सिगनल सं० [5] तक जाने हेतु।
2	अप शंट सिगनल सं० [3] अप शंट सिगनल सं० एसएच-258 के ऊपर उसी खम्भे पर प्रदत्त है एवं 8 लीवर ग्राउन्ड फ्रेम से संचालित।	लाइन सं० 20/21/22/23/48 में जाने हेतु।
3	लाइन सं० 26 में अप शंट सिगनल सं० [4] अप शंट सिगनल सं० एसएच-260 के ऊपर उसी खम्भे पर प्रदत्त है एवं 8 लीवर ग्राउन्ड फ्रेम से संचालित।	लाइन सं० 26 से शंट सिगनल सं० [3] तक जाने हेतु।
4	डाउन शंट सिगनल सं० [5] कॉटा सं० 497बी के पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त है एवं 8 लीवर ग्राउन्ड फ्रेम से संचालित।	कोच स्टैब्लिंग लाइन सं० 26 में जाने हेतु।
5	डाउन शंट सिगनल सं० (2) स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त है एवं 3 लीवर ग्राउन्ड फ्रेम से संचालित।	लाइन सं० 19/24 से लाइन सं० 31 या 25 में जाने हेतु।
6	अप शंट सिगनल सं० (3) अप शंट सिगनल सं० एसएच-268 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है एवं 3 लीवर ग्राउन्ड फ्रेम से संचालित।	लाइन सं० 25/31 से लाइन सं० 19/24 में जाने हेतु।

कमशः पृष्ठ 27 पर

4.1.14.2 आश्रित शंट सिगनल पैनल से संचालित :-

1	नकहाजंगल छोर पर अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-146 अप इण्टरमीडिएट प्रस्थान सिगनल सं० एस-46 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	नकहाजंगल छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-22 तक अथवा वाशिंग काम्प्लेक्स में जाने हेतु।
2	नकहाजंगल छोर पर अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-148 अप इण्टरमीडिएट प्रस्थान सिगनल सं० एस-48 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	नकहाजंगल छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-22 तक अथवा वाशिंग काम्प्लेक्स में जाने हेतु।
3	डोमिनगढ़ छोर दक्षिण लाइन पर डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-113 डाउन इनर होम सिगनल सं० एस-13 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं।	डोमिनगढ़ छोर दक्षिण लाइन से लाइन सं० 12/13/14/15 में अथवा डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-227/एसएच-231/एसएच-235/एसएच-237 तक अथवा सिगनल सं० एस-83/एस-35/एस-39/एस-47/एस-43 तक जाने के लिये।
4	डोमिनगढ़ छोर उत्तर लाइन पर डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-117 डाउन इनर होम सिगनल सं० एस-17 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं।	डोमिनगढ़ छोर उत्तर लाइन से लाइन सं० 12/13/14/15 में या डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-227/एसएच-231/एसएच-235/एसएच-237 तक अथवा सिगनल सं० एस-81/एस-83/एस-35/एस-39/एस-47/एस-43 तक जाने के लिये।
5	नकहाजंगल छोर पर डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-125 डाउन इनर होम सिगनल सं० एस-25 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं।	नकहाजंगल छोर से लाइन सं० 12/13/14/15 में अथवा डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-231/एसएच-235/एसएच-237 तक अथवा सिगनल सं० एस-81/एस-35/एस-39/एस-47/एस-43 तक जाने के लिये।
6	नकहाजंगल छोर पर डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-129 डाउन इनर होम सिगनल सं० एस-29 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं।	नकहाजंगल छोर से लाइन सं० 12/13/14/15 में अथवा डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-235/एसएच-237 तक अथवा सिगनल सं० एस-43/एस-47 तक जाने के लिये।
7	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-135 डाउन इनर होम सिगनल सं० एस-35 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन सं० 3/4/5 में जाने के लिये।
8	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-139 डाउन इनर होम सिगनल सं० एस-39 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन सं० 12/13/14/15 में अथवा डाउन सिगनल सं० एस-61/एस-63/एस-47 तक जाने के लिये।
9	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-143 डाउन इनर होम सिगनल सं० एस-43 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन सं० 16/17/18 में जाने के लिये।

क्रमशः पृष्ठ 28 पर

10	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-147 डाउन इनर होम सिगनल सं० एस-47 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन सं० 8/9/10/11 में जाने के लिये।
11	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-151 लाइन सं० 2 (पूरब) के डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-51 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 2 (पूरब) से लाइन सं० 27/28 में अथवा डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-251/एसएच-[5] तक जाने हेतु।
12	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-153 लाइन सं० 1 (पूरब) के डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-53 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 1 (पूरब) से लाइन सं० 27/28 में अथवा डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-263/एसएच-[5] तक जाने हेतु।
13	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-155 लाइन सं० 3 के डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-55 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 3 से लाइन सं० 27/28 में अथवा डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-251/एसएच-253/एसएच-[5] तक जाने हेतु।
14	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-157 लाइन सं० 4 के डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-57 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 4 से लाइन सं० 27/28 में अथवा डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-251/एसएच-253/एसएच-[5] तक जाने हेतु।
15	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-159 लाइन सं० 5 के डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-59 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 5 से लाइन सं० 27/28 में अथवा डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-251/एसएच-253/एसएच-[5] तक जाने हेतु।
16	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-161 लाइन सं० 6 के डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-61 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 6 से डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-251/एसएच-253 तक जाने हेतु।
17	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-163 लाइन सं० 7 के डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-63 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 7 से लाइन सं. 69 में अथवा डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-251/एसएच-253 तक जाने हेतु।
18	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-165 लाइन सं० 8 के डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-65 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 8 से डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-263/एसएच-265/एसएच-261 तक जाने हेतु।
19	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-167 लाइन सं० 9 के डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-67 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 9 से डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-263/एसएच-265/एसएच-261 तक जाने हेतु।
20	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-169 लाइन सं० 10 के डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-69 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 10 से डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-263/एसएच-265/एसएच-261 तक जाने हेतु।

कमशः पृष्ठ 29 पर

21	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-171 लाइन सं० 11 के डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-71 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 11 से डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-263/एसएच-265/एसएच-261 तक जाने हेतु।
22	डा० शन्ट सिगनल सं० एसएच-173 कामन प्रस्थान सिगनल सं० एस-73 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 12/13/14/15 से डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-263/एसएच-265/एसएच-261 तक जाने हेतु।
23	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-175 लाइन सं० 16 के डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-75 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 16 से लाइन सं. 64 में अथवा डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-261/एसएच-263/एसएच-265 तक जाने हेतु।
24	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-177 लाइन सं० 17 के डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-77 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 17 से डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-261/एसएच-263/एसएच-265 तक जाने हेतु।
25	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-179 लाइन सं० 18 के डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-79 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 18 से लाइन सं. 63 में अथवा डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-261/एसएच-263/एसएच-265 तक जाने हेतु।
26	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-181 लाइन सं० 2 (पश्चिम) के डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-81 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 2 (पश्चिम) से लाइन सं० 1/2 (पूरब) में जाने हेतु।
27	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-183 लाइन सं० 1 (पश्चिम) के डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-83 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 1(पश्चिम) से लाइन सं० 1/2 (पूरब) में जाने हेतु।
28	डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-185 लाइन सं० 47 के डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस-85 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 47 से लाइन सं० 27/28 अथवा डाउन शन्ट सिगनल सं० एसएच-263/एसएच-[5] तक जाने हेतु।
29	अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-150 लाइन सं० 2(पश्चिम) के अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-50 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 2(पश्चिम) से अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-224/एसएच-226 तक जाने हेतु।
30	अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-152 लाइन सं० 1(पश्चिम) के अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-52 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 1(पश्चिम) से लाइन सं० 81 में अथवा अथवा अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं. एस-2(दक्षिण लाइन) अथवा अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं. एस-10(उत्तर लाइन) तक जाने हेतु।
31	अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-154 लाइन सं० 3 के अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-54 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 3 से अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-224/एसएच-226 तक जाने हेतु।

कमशः पृष्ठ 30 पर

32	अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-156 लाइन सं० 4 के अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-56 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 4 से अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-224/एसएच-226/एसएच-230 तक जाने हेतु।
33	अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-158 लाइन सं० 5 के अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-58 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 5 से अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-224/एसएच-226/एसएच-230 तक जाने हेतु।
34	अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-160 लाइन सं० 6 के अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-60 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 6 से लाइन सं० 66 में अथवा अप शन्ट सिगनल सं.एसएच-226 तक जाने हेतु।
35	अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-162 लाइन सं० 7 के अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-62 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 7 से लाइन सं० 65 में अथवा अप शन्ट सिगनल सं.एसएच-226 तक जाने हेतु।
36	अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-164 लाइन सं० 8 के अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-64 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 8 से अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-226/एसएच-232 तक जाने हेतु।
37	अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-166 लाइन सं० 9 के अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-66 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 9 से अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-226/एसएच-232 तक जाने हेतु।
38	अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-168 लाइन सं० 10 के अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-68 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 10 से अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-226/एसएच-232 तक जाने हेतु।
39	अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-170 लाइन सं० 11 के अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-70 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 11 से अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-226/एसएच-232 तक जाने हेतु।
40	अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-172 अप कामन प्रस्थान सिगनल सं० एस-72 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 12/13/14/15 से अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-226/एसएच-232 तक जाने हेतु।
41	अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-174 लाइन सं० 16 के अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-74 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 16 से अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-232/एसएच-234/एसएच-236 तक अथवा लाइन सं० 35/67/इलेक्ट्रिक लोको लाइन की तरफ जाने हेतु।
42	अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-176 लाइन सं० 17 के अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-76 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 17 से अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-232 तक अथवा लाइन सं० 35/67/इलेक्ट्रिक लोको लाइन की तरफ जाने हेतु।

कमशः पृष्ठ 31 पर

43	अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-178 लाइन सं० 18 के अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-78 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं	लाइन सं० 18 से अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-232 तक अथवा लाइन सं० 35/67/इलेक्ट्रिक लोको लाइन की तरफ जाने हेतु।
44	अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-180 लाइन सं० 2(पूरब) के अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-80 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन सं० 2(पूरब) से लाइन सं० 2(पश्चिम) अथवा लाइन सं० 1 (पश्चिम) तक जाने हेतु।
45	अप शन्ट सिगनल सं० एसएच-182 लाइन सं० 1(पूरब) के अप प्रस्थान सिगनल सं० एस-82 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन सं० 1(पूरब) से लाइन सं० 1(पश्चिम) अथवा लाइन सं० 2 (पश्चिम) तक जाने हेतु।
46	अप शंट सिगनल सं० एसएच-186 अप राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-86 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	गोरखपुर कैण्ट छोर से लाइन सं० 3/4/5 में जाने हेतु।
47	अप शंट सिगनल सं० एसएच-190 अप राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-90 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	गोरखपुर कैण्ट छोर से लाइन सं० 6/7 में जाने हेतु।
48	अप शंट सिगनल सं० एसएच- 196 अप राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-96 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	गोरखपुर कैण्ट छोर से अप अप राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-108 तक अथवा लाइन सं० 16/17/18 में जाने हेतु।
49	अप शंट सिगनल सं० एसएच-208 अप राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-108 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	गोरखपुर कैण्ट छोर से लाइन सं० 8/9/10/11/12/13/14/15 में जाने हेतु।
50	अप शंट सिगनल सं० एसएच- 212 अप राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-112 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	गोरखपुर कैण्ट छोर से अप राऊटिंग होम सिगनल सं० एस-86/एस-90 तक अथवा लाइन सं० 1/2/47 में जाने हेतु।

कमशः पृष्ठ 32 पर

4.1.14.3 अनाश्रित शंट सिगनल पैनल से संचालित :-

1	नकहाजंगल छोर पर डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-221 कॉटा सं. 318 से पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	नकहाजंगल छोर से डाउन इनर होम सिगनल सं. एस-29/एस-25 तक जाने हेतु।
2	नकहाजंगल छोर पर डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-223 कॉटा सं. 319एक्स से पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	वाशिंग काम्पलेक्स से डाउन इनर होम सिगनल सं. एस-29/एस-25 तक जाने हेतु।
3.	डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-225 लाइन सं. 81 पर कॉटा सं. 303बी के पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन सं. 81 से सिगनल सं. एस35/एस39/एस83/एसएच-227/एसएच-231 अथवा लाइन सं. 41 से 46 तक जाने हेतु।
4.	डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-227 कॉटा सं. 309बी के पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन सं. 2(प0) अथवा रुटिंग होम सिगनल सं. एस-35 तक जाने हेतु।
5.	डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-229 लाइन सं. 38 पर कॉटा सं. 310बी के पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन सं. 40 में जाने हेतु।
6	डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-231 कॉटा सं. 315बी के पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन सं. 4/5 में जाने हेतु।
7.	डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-233 कॉटा सं. 347एक्स के पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन सं. 6 में जाने हेतु।
8.	डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-235 कॉटा सं. 335एक्स के पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन सं. 16 में जाने हेतु।
9.	डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-237 कॉटा सं. 336एक्स के पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन सं. 16 में जाने हेतु।
10.	डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-239 लाइन सं. 65 पर कॉटा सं. 346एक्स के पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन सं. 7 में जाने हेतु।
11.	डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-241 लाइन सं. 59 पर कॉटा सं. 344बी के पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन सं. 49 अथवा डाउन रुटिंग होम सिगनल एस-43 तक जाने हेतु।
12.	डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-243 लाइन सं. 35 पर कॉटा सं. 344ए के पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	डाउन रुटिंग होम सिगनल एस-43 तक जाने हेतु।
13.	डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-245 लाइन सं. 75 पर कॉटा सं. 342एक्स के पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	डाउन रुटिंग होम सिगनल एस-43 तक जाने हेतु।

कमश: पृष्ठ 33 पर

14.	डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-251 कॉटा सं. 488ए के पास स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-263 तक जाने हेतु।
15.	डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-253 कॉटा सं. 484ए से पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-261/ एसएच-263 तक जाने हेतु।
16.	डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-261 कॉटा सं. 498ए से पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (उत्तर लाइन)/डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (तीसरी लाइन) अथवा लाइन सं. 25 व लाइन सं. 31 में जाने हेतु।
17.	डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-263 कॉटा सं. 497ए से पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (उत्तर लाइन) /डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (दक्षिण लाइन)/डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (तीसरी लाइन) अथवा लाइन सं. 25/26/31 में जाने हेतु।
18.	डाउन शन्ट सिगनल सं. एसएच-265 कॉटा सं. 476बी से पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (तीसरी लाइन) अथवा लाइन सं. 25/31 में जाने हेतु।
19.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-224 कॉटा सं. 307ए के पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (उत्तर लाइन)/ अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (दक्षिण लाइन) अथवा लाइन सं. 81 में जाने हेतु।
20.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-226 कॉटा सं. 306ए के पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (उत्तर लाइन)/ अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (दक्षिण लाइन)/ नकहा जंगल छोर पर सिगनल सं. एस-46 अथवा लाइन सं. 81 तक जाने हेतु।
21.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-230 लाइन सं. 40 पर कॉटा सं. 310बी के पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन सं. 38 अथवा अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-226 तक जाने हेतु।
22.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-232 कॉटा सं. 322बी के पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (उत्तर लाइन) / अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (दक्षिण लाइन) अथवा नकहा जंगल छोर पर सिगनल सं. एस-46/एस-48 तक जाने हेतु।
23.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-234 लाइन सं. 37 पर कॉटा सं. 333एक्स के पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	सिगनल सं. एसएच-232 तक जाने हेतु।
24.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-236 लाइन सं. 36 पर कॉटा सं. 334एक्स के पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	सिगनल सं. एसएच-232 तक जाने हेतु।
25.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-238 शंटिंग नेक लाइन सं. 43 पर स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	शंटिंग नेक लाइन सं. 43 से लाइन सं. 81 में जाने हेतु।
26.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-240 लाइन सं. 49 पर कॉटा सं. 343एक्स के पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन सं. 59 में जाने हेतु।

कमशः पृष्ठ 34 पर

27.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-242 शंटिंग नेक लाइन सं. 42 पर स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	शंटिंग नेक लाइन सं. 42 से लाइन सं. 81 में जाने हेतु।
28.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-244 शंटिंग नेक लाइन सं. 41 पर स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	शंटिंग नेक लाइन सं. 41 से लाइन सं. 81 में जाने हेतु।
29.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-246 शंटिंग नेक लाइन सं. 44 पर स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	शंटिंग नेक लाइन सं. 44 से लाइन सं. 81 में जाने हेतु।
30.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-248 शंटिंग नेक लाइन सं. 45 पर स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	शंटिंग नेक लाइन सं. 45 से लाइन सं. 81 में जाने हेतु।
31.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-250 लाइन सं. 69 पर कॉटा सं. 470एक्स से पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन सं. 69 से लाइन सं. 7 में जाने हेतु।
32.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-252 लाइन सं. 64 पर कॉटा सं. 473एक्स से पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन सं. 64 से लाइन सं. 16 में जाने हेतु।
33.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-254 लाइन सं. 63 पर कॉटा सं. 474एक्स से पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	लाइन सं. 63 से लाइन सं. 18 में जाने हेतु।
34.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-256 कॉटा सं. 484ए से पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	अप रुटिंग होम सिगनल सं. एस-86/एस-90/एस-96 तक जाने हेतु।
35.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-258 कॉटा सं. 494बी से पहले खम्भे पर प्रदत्त हैं।	अप रुटिंग होम सिगनल सं. एस-86 अथवा सिगनल सं. एस-80/एस-82 अथवा लाइन सं. 47 में जाने हेतु।
36.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-260 लाइन सं. 26 पर कॉटा सं. 497बी से पहले खम्भे पर प्रदत्त हैं।	अप रुटिंग होम सिगनल सं. एस-112 अथवा अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-256 तक जाने हेतु।
37.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-262 कॉटा सं. 476ए से पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	अप रुटिंग होम सिगनल सं. एस-112 अथवा अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-256 तक जाने हेतु।
38.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-264 कॉटा सं. 498बी से पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	अप रुटिंग होम सिगनल सं. एस-112 अथवा अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-256 तक जाने हेतु।
39.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-266 कॉटा सं. 499बी से पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	अप रुटिंग होम सिगनल सं. एस-112 अथवा अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-256/एसएच-270 तक जाने हेतु।
40.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-268 कॉटा सं. 500एक्स से पहले खम्भे पर प्रदत्त हैं।	अप रुटिंग होम सिगनल सं. एस-112 अथवा अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-256/एसएच-270 तक जाने हेतु।
41.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-270 कॉटा सं. 484बी से पहले स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	अप रुटिंग होम सिगनल सं. एस-96 तक जाने हेतु।
42.	अप शन्ट सिगनल सं. एसएच-272 शंटिंग नेक लाइन सं. 46 पर स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त हैं।	शंटिंग नेक लाइन सं. 46 से लाइन सं. 81 में जाने हेतु।

कमशः पृष्ठ 35 पर

- टिप्पणी : (i) विस्तृत जानकारी हेतु इस स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट 'बी' मय अनुलग्नकों को देखें।
- (ii) सिगनलों की विफलता के समय गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान सा० एवं सहायक नियम 3.68, 3.69, 3.71, 3.78, 3.80, 3.81 एवं सहायक नियम सं० 3.39(i)(ii) के अनुसार किया जायेगा। स्टेशन मास्टर/वी.डी.यू. पैनल डिफेक्टिव सिगनल एडवाइस (टी-369(3बी)) जारी करेंगे तथा पावर केबिन सुपरवाइजर सभी सिगनल विफलताओं की प्रविष्टि सिगनल विफलता पंजिका (एस०ई०-32) में करने हेतु उत्तरदायी होंगे।
- (iii) अग्रिम प्रस्थान सिगनलो की विफलता की दशा में पावर केबिन पर कार्यरत ब्लाक स्टेशन मास्टर पी०एल०सी० जारी करेगा एवं इसके साथ ही पेपर लाइन क्लीयर की किताब में अंकित करेगा कि किस टेलीफोन पर लाइन क्लीयर लिया गया है तथा प्रस्थान सिगनल हेतु टी-369(3बी) जारी करेगा। संयुक्त अप अग्रिम प्रस्थान/अप गेट डिस्टेन्ट/अप डिस्टेन्ट (नकहा जंगल) सिगनल सं० एस-22 की विफलता की स्थिति में गेट सिगनल के दिखाई देने तक सतर्कता पूर्वक जाने हेतु सतर्कता आदेश भी जारी करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर/वी.डी.यू. पैनल सहायक नियम 3.69(2)(3) के अनुसार मार्ग की सही सेटिंग सुनिश्चित करने के बाद ही टी-369(3बी) जारी करेंगे।
- (v) गाड़ी ट्रैक पर आने पर यदि लाल प्रकाश पट्टी प्रदर्शित नहीं हो तो इसका अर्थ यह है कि ई.आई. सिस्टम में दोष है, इसके मरम्मत हेतु संबंधित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें। यदि पीला प्रकाश पट्टी का प्रकाशित होना अपेक्षित हो और वह न जलती हो तो कार्यरत पावर केबिन सुपरवाइजर द्वारा इस लाइन के व्यक्तिगत सत्यापन करने/ कराने के बाद ही बाधा रहित होना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) कांटों, सिगनलों, ब्लाक उपकरणों, नियंत्रक टेलीफोन इत्यादि की विफलता और उससे सम्बन्धित रख-रखाव/मरम्मत हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों की एक सूची (उनके मुख्यालय सहित) परिशिष्ट 'बी' में दी गयी है।

4.2 रिले कक्ष की चाभियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हे लेने देने की कार्य पद्धति :

रिले कक्ष के प्रवेश द्वार में दो तालों का प्रावधान है जिनमें से एक ताले की चाभी कार्यरत ई०एस०एम० के पास एवं दूसरे ताले की चाभी कार्यरत पावर केबिन सुपरवाइजर के पास रहती है। रिले रूम की चाभी पावर केबिन के चाभी बॉक्स में लॉक करके रखी जाती है।

निरीक्षण, अनुरक्षण अथवा विफलता की स्थिति में कार्यरत ई०एस०एम०, पावर केबिन सुपरवाइजर के पास उपलब्ध रिले रूम रजिस्टर में हस्ताक्षर कर रिले रूम की चाभी प्राप्त करेंगे तथा कार्य समाप्त होने के पश्चात रिले रूम की चाभी ई०एस०एम० द्वारा रिले रूम रजिस्टर में हस्ताक्षर कर पावर केबिन सुपरवाइजर को वापस कर देगा।

कमशः पृष्ठ 36 पर

4.3 पावर सप्लाई:-

पावर सप्लाई हेतु अप ए०टी०, डाउन ए०टी० व कामर्शियल सप्लाई के अतिरिक्त आई०पी०एस० सिस्टम व डी०जी० सेटों का प्रावधान है। जिनके द्वारा इन्टीग्रेटेड पावर सप्लाई को चार्ज किया जाता है। अप ए०टी०, डाउन ए०टी० व कामर्शियल सप्लाई की विफलता की स्थिति में आई०पी०एस० सिस्टम की चार्जिंग के लिये सिगनल विभाग द्वारा डी०जी० सेट चला दिया जायेगा। (विस्तृत विवरण परि० 'बी' के अनुलग्नक-II में देखें)

5. दूर संचार :

इस स्टेशन पर उपलब्ध दूर संचार के साधन की सूची के लिए स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट बी' देखें।

5.1 सेक्शन कंट्रोल/डिप्टी कंट्रोल/कर्षण पावर कंट्रोल :-

पावर केबिन/स्टेशन मास्टर (इनडोर)/स्टेशन मास्टर(सतर्कता आदेश) एवं क्षेत्रीय नियंत्रक से, लखनऊ एवं वाराणसी कंट्रोल के सेक्शन ट्रेन कंट्रोलर से कंट्रोल टेलीफोन तथा कर्षण पावर कंट्रोलर से कर्षण पावर कंट्रोल टेलीफोन द्वारा जुड़ा है।

5.2 आटो/डी०ओ०टी० टेलीफोन :-

इस स्टेशन पर पावर केबिन/स्टेशन मास्टर/इनडोर(स्टेशन)/स्टेशन मास्टर/सतर्कता आदेश के पास आटो एवं डी०ओ०टी० टेलीफोन उपलब्ध है तथा क्षेत्रीय नियंत्रक के पास आटो टेलीफोन उपलब्ध है।

5.3 केबिन/गेटो पर मैग्नेटो टेलीफोन :-**5.3.1 पावर केबिन से निम्न टेलीफोन द्वारा जुड़े हैं :**

- (क) क्षेत्रीय नियंत्रक से
- (ख) वाशिंग लाइन काम्पलेक्स के समीप लगे लोकेशन से
- (ग) सभी सम्बन्धित कैंक हैण्डिल नियंत्रण लोकेशन बाक्सों से
- (घ) समपार सं० 1 व 2 से
- (ङ.) स्टेशन मास्टर/इनडोर प्लेटफार्म से
- (च) सम्बन्धित 3 लीवर ग्राउन्ड फ्रेम के लोकेशन से
- (छ) सम्बन्धित 8 लीवर ग्राउन्ड फ्रेम के लोकेशन से
- (ज) गुड्स प्लेटफार्म पर बने लोकेशन से
- (झ) शॉटर लोकेशन से

5.3.2 क्षेत्रीय नियंत्रक से निम्न टेलीफोन द्वारा जुड़े हैं :

- (क) स्टेशन मास्टर पावर केबिन से
- (ख) स्टेशन मास्टर/इनडोर प्लेटफार्म से
- (ग) गार्डों के रनिंग रूम से

5.4 आई०बी०एस० का आई०बी०एस० टेलीफोन :-

इस स्टेशन पर उपलब्ध नहीं है।

5.5 एक्सिल काउन्टर/रीसेट बाक्स का टेलीफोन :-

इस स्टेशन पर उपलब्ध नहीं है।

5.6 यार्ड में संचार हेतु टेलीफोन :-

वाशिंग लाइन काम्पलेक्स के समीप लगे लोकेशन, सभी कैंक हैण्डिल नियंत्रण लोकेशन बाक्सों, सभी लीवर ग्राउन्ड फ्रेम के लोकेशन एवं गुड्स प्लेटफार्म पर बने लोकेशन से टेलीफोन द्वारा जुड़ा है। इस स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" एवं उपरोक्त पैरा 5.3 देखें।

कमश: पृष्ठ 37 पर

5.7 वी.एच.एफ. सेट :-

पावर केबिन तथा स्टेशन मास्टर/इनडोर के पास उपलब्ध है।

5.8 सचल गाड़ी रेडियों संचार(एम.टी.आर.सी.):—

इस स्टेशन पर उपलब्ध नहीं है।

नोट :- उक्त संचार व्यवस्था में खराबी आ जाने पर स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट -बी के अनुसार सूचित करें।

6. गाड़ी संचालन :-

गाड़ी का आवागमन साधारण एवं सहायक नियम 8.01, 8.03 (2) व अध्याय 17 के अनुसार होगा। आगमन व प्रस्थान सिगनल साधारण एवं सहायक नियम 3.38, 3.39, 3.40, 3.42, 3.45, 3.47, 4.35, 5.01, 8.09, 8.10 तथा 8.12 से 8.15 तक के अनुसार 'आफ' किये जायेंगे। इस स्टेशन के कांटों व सिगनलों के संचालन हेतु स्टेशन मास्टर पावर केबिन कार्यालय में डबल V.D.U.(पी.सी.) की व्यवस्था है, जिसका वी.डी.यू. डायग्राम सं० एन.ई.आर./एल.जे.एन./जी.के. पी./वी.डी.यू./2024/वी.ई.आर.-जीरो/09 दिनांक 05.09.24 मय संशोधन 'ए' दिनांक 19.03.25 संलग्न है।

6.1 गाड़ी संचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :

स्टेशन प्रबन्धक (राजपत्रित) व यातायात निरीक्षक के अतिरिक्त गाड़ी संचालन कर्मचारी जैसे स्टेशन अधीक्षक/उप स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर/यार्ड मास्टर, शंटिंग मास्टर, कांटावाला व फाटकवाला के गाड़ी संचालन के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'डी' में दिया गया है। सभी कर्मचारीगण मंडल द्वारा निर्धारित रोस्टर में अपने-अपने शिफ्ट के अनुसार कार्य करेंगे।

6.1.1 कार्यरत गाड़ी संचालन कर्मचारी :**स्टेशन पर :-**

- क. स्टेशन प्रबन्धक (राजपत्रित)
- ख. स्टेशन अधीक्षक (पर्यवेक्षक)
- ग. उप स्टेशन अधीक्षक
- घ. स्टेशन मास्टर/इनडोर
- ङ. स्टेशन मास्टर/प्लेटफार्म पूरब
- च. स्टेशन मास्टर/प्लेटफार्म पश्चिम
- छ. कांटावाला
- ज. शंटिंग मास्टर
- झ. गाड़ी लिपिक

पावर केबिन पर:-

- क. पावर केबिन सुपरवाइजर
- ख. स्टेशन मास्टर/ब्लाक
- ग. स्टेशन मास्टर/वी.डी.यू. पैनल
- घ. स्टेशन मास्टर/सामान्य सहायक (जी०ए०)
- ङ. यार्ड मास्टर
- च. कांटावाला

एकीकृत लाबी पर :-

- क. स्टेशन मास्टर (सतर्कता आदेश)

क्षेत्रीय नियन्त्रक कार्यालय पर :-

- क. क्षेत्रीय नियन्त्रक/स्टेशन मास्टर
- ख. गाड़ी लिपिक

कमशः पृष्ठ 38 पर

8 लीवर ग्राउन्ड फ्रेम तथा ओल्ड पिट पर:-

- क. शन्टिंग मास्टर
- ख. कांटावाला

न्यू वाशिंग पिट पर:-

- क. शन्टिंग मास्टर
- ख. कांटावाला

ट्राफिक फाटक पर

- क. फाटकवाला

6.1.2 लाइनों की क्लीयरेन्स सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर वी.डी.यू. पैनल लाइन की क्लीयरेंस जिससे कि गाड़ी का आगमन/प्रस्थान इस स्टेशन से होना है को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। यह कार्य V.D.U. (पी.सी.) पर उपलब्ध ट्रैक सूचकों द्वारा किया जायेगा। ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में कार्यरत पावर केबिन सुपरवाइजर को विफल ट्रैक सर्किट की जानकारी तुरन्त देंगे। पावर केबिन सुपरवाइजर यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि ट्रैक सर्किट वास्तव में विफल हो गये हैं कार्यरत ई.एस.एम./एस.आई को सूचित करेगा। ट्रैक सर्किट विफलता की स्थिति में पावर केबिन सुपरवाइजर कार्यरत स्टेशन मास्टर/प्लेटफार्म से निरीक्षण कराकर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान कर, लाइन का बाधा रहित होना सुनिश्चित करेगे।

सहायक नियम सं० 3.69(ii)(iii) और सहायक नियम 3.39(i)(ii) के अनुसार कांटे सेट किये जायेंगे और उनके क्लैम्प और ताले लगाये जायेंगे।

(विस्तृत विवरण के लिए सा० नियम 3.38, 3.40 व 8.02(2) तथा ट्रैक सर्किट की पूर्ण जानकारी हेतु संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट "बी" को देखें)

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारी का आश्वासन :

प्रत्येक गाड़ी पासिंग कर्मचारी जिसकी स्टेशन पर नयी तैनाती हुई है या स्टेशन पर 15 दिन या 15 दिनों से अधिक की नियमित अनुपस्थिति के उपरान्त ड्यूटी पर उपस्थित होने वाले कर्मचारियों को प्रचलित स्टेशन संचालन नियमों को अवश्य पढ़ कर निर्धारित आश्वासन पंजिका में अपना आश्वासन दर्ज करना चाहिए। जब कभी कोई शुद्धि पच्ची स्टेशन संचालन नियम में जारी की जाती है तो स्टेशन मास्टर द्वारा सभी कर्मचारियों का पुनः आश्वासन अवश्य लिया जाए।

(सामान्य नियम 5.01(16) देखें।)

6.2 लाइन क्लीयर देने के लिए शर्त :

खण्ड गाड़ी नियन्त्रक व पावर केबिन में कार्यरत पावर केबिन सुपरवाइजर की अनुमति मिलने के बाद कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ब्लाक** आने वाली गाड़ी को तब तक लाइन क्लियर नहीं देगा जब तक कि :-

- क. पूर्ववती गाड़ी पूरी तरह न पहुँच गयी हो।
- ख. उक्त गाड़ी के पीछे के सभी आवश्यक सिग्नल फिर से 'आन' स्थिति में न हो गये हो तथा सभी एप्रोच सिग्नल प्रकाशित हो।
- ग. लाइन निम्न पर्याप्त दूरी तक साफ न हो :-
 - i) नकहा जंगल से आने वाली गाड़ी हेतु समपार सं० 2 के पहले तक।
 - ii) डोमिनगढ़ उत्तर/दक्षिण लाइन से आने वाली गाड़ी हेतु अप अग्रिम प्रस्थान सिग्नल सं० एस-10/एस-2 तक।

क्रमशः पृष्ठ 39 पर

iii) गोरखपुर कैन्ट

उत्तर/दक्षिण / III लाइन से आने वाली गाड़ी हेतु डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-103/एस-99/एस-115 तक।

- घ. निम्न समपार फाटक पर कार्यरत फाटकवाले को समपार संचालन अनुदेश के अनुरूप सूचित/प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान न कर लिया हो:
—कोई नहीं—

- टिप्पणी:—i) पावर केबिन पर कार्यरत सुपरवाइजर सवारी गाड़ी के लिये कार्यरत खण्ड गाड़ी नियन्त्रक व उपस्टेशन अधीक्षक तथा मालगाड़ी के लिये क्षेत्रीय नियन्त्रक से भी परामर्श कर पावर केबिन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर/ब्लाक को लाइन क्लियर देने की अनुमति देगा।
- ii) कार्यरत पावर केबिन सुपरवाइजर डोमिनगढ़/गोरखपुर कैन्ट/नकहा जंगल छोर से लाइन क्लियर होने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर/इन्डोर (स्टेशन पर) को गाड़ी संख्या एवं उनके पूर्ण विवरण के साथ कि गाड़ी किस स्टेशन से आने वाली है, की सूचना टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर के साथ सूचित कर लागू बुक में अंकित करेगा।
- iii) उपरोक्त के अतिरिक्त साधारण नियम 8.03(2) एवं सहायक नियम 8.03 (i),(ii),(iii) व (iv) में निहित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

6.2.1 गाड़ी के स्टेशन पर आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्त :

6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध प्वाइंटों को अन्य लाइन के लिये सेट करना :
सामान्य नियम 3.38(2) व सहायक नियम 5.19 (2) देखें ।

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन :
सामान्य एवं सहायक नियम 5.09 देखें ।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :
सामान्य एवं सहायक नियम 5.10 देखें ।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करना :
सामान्य एवं सहायक नियम 5.11 देखें ।

6.2.1.5 कामन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करना :
सामान्य एवं सहायक नियम 5.12 देखें ।

6.2.1.6 कोई अन्य विशेष शर्त :-

- क) गोरखपुर कैन्ट छोर तीन इकहरी लाइन होने के कारण इस बात का प्रयास किया जायेगा कि स्टेशन यार्ड में/से गाड़ी के आगमन/प्रस्थान करते समय क्रास मूवमेन्ट से बचा जाये।
- ख) लाइन सं० 36 में मेडिकल रिलीफ वान तथा लाइन सं० 37 में दुर्घटना सहायता गाड़ी के अलावा कोई दूसरा अन्य वैहिकल नहीं रखा जायेगा। इन लाइनों पर दोनों ओर शंट सिगनल प्रदत्त है ताकि मेडिकल रिलीफ वान/दुर्घटना सहायता गाड़ी सीधे आपात्कालीन स्थिति में निकाला जा सके।
- ग) यात्री गाड़ी का इस स्टेशन पर टी०एक्स०आर० द्वारा शेड्यूल परीक्षण, लागू कार्यकारी समय सारणी के रेक लिंक में निर्धारित है, के अनुसार किया जायेगा।

कमश: पृष्ठ 40 पर

- घ) स्टेशन मास्टर/इनडोर यात्री गाड़ियों हेतु टी0एक्स0आर0 से फिट प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे और अपनी अभिरक्षा में रखेंगे। मालगाड़ी के लिये यार्ड मास्टर/पावर केबिन टी0एक्स0आर0 से फिट प्रमाण-पत्र (टी-431) प्राप्त करेंगे।
(विशेष रूप से साधारण नियम 4.31 देखें)
- ड.) सतर्कता आदेश (टी-409) जारी करने के लिये यह स्टेशन नोटिस स्टेशन है अतः स्टेशन मास्टर/सतर्कता आदेश एकीकृत लाबी पर सतर्कता आदेश तैयार कर प्रत्येक गाड़ी को इस स्टेशन से प्रस्थान से पहले साइन आन करने के उपरान्त सभी सम्बन्धित गार्ड एवं चालक का प्रति हस्ताक्षर लेकर जारी करेंगे। (सहायक नियम 4.09 (III) (2) को देखें)
- च) सामान्य नियम के पैरा 3.40 में एवं महाप्रबन्धक/परिचालन के पत्रांक सं० टी/555/3/गोरखपुर दि० 22.05.1998 के अनुसार गोरखपुर यार्ड को टर्मिनल स्टेशन घोषित किया गया है।
- छ) स्टेशन मास्टर/इनडोर वी.टी.ओ. देखकर आवश्यकतानुसार फाग सिग्नल का लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6.3 आगमन सिग्नलों के 'आफ' करने की शर्त :-

पावर केबिन सुपरवाइजर की अनुमति मिलने के बाद भी पावर केबिन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर/वी.डी.यू. पैनल, आगमन सिग्नलों को तबतक 'आफ' नहीं करेगा जबतक कि:-

- क) जिस लाइन पर गाड़ी ली जाने वाली है वह लाइन अनुमुख कांटो तक साफ न हो।
- ख) जिस लाइन पर गाड़ी ली जाने वाली है उसके सभी सम्मुख तथा अनुमुख कांटे जैसी भी स्थिति हो, में सेट एवं लाक कर दिये गये हो तथा वी.डी.यू. पैनल पर उनका इण्डिकेशन स्पष्ट रूप से दिखाई न दे रहा हो।
- ग) निम्न समपार फाटक बन्द व लाक न कर दिया हो:
अ. डाउन गाड़ी हेतु (डोमिनगढ़ छोर से)
—कोई नहीं—
ब. डाउन गाड़ी हेतु (नकहा जंगल छोर से)
समपार सं० 1 व 2
ब. अप गाड़ी हेतु (गोरखपुर कैण्ट छोर से)
—कोई नहीं—

नोट: गाड़ियों को आने/जाने हेतु कांटे एवं सिग्नलों के परिचालन के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' एवं अनुलग्नक-VII को देखें।
(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 3.38 एवं 3.40 को देखें)

6.3.1 चालू लाइन पर गाड़ियों का आगमन :

"गाड़ियों का आगमन" के साथ स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" एवं अनुलग्नक-X को अवश्य पढ़ा जाय। जिस गाड़ी का लाइन क्लीयर दिया जा चुका है उस गाड़ी के आगमन के लिए निम्न प्रक्रिया होगी :-

क्रमशः पृष्ठ 41 पर

- (क) कार्यरत पावर केबिन सुपरवाइजर अप/डाउन गाड़ी जैसी भी स्थिति हो, को लाइन क्लीयर देने के पश्चात गाड़ी संख्या एवं उसके पूर्ण विवरण के साथ किस स्टेशन से आनेवाली है इसकी सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर इन्डोर/क्षेत्रीय नियंत्रक जैसी भी स्थिति हो को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर के साथ देगा तथा इसका विवरण लागू बुक में अंकित किया जायेगा।
- (ख) पावर केबिन सुपरवाइजर यात्री/मालगाड़ी जैसी भी स्थिति हो के लिये पैसेन्जर यार्ड/गुड्स यार्ड में रिसेप्शन के लिए लाइन का आवंटन करेगा तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर/V.D.U.पैनल को बतायेगा।
- (ग) स्टेशन मास्टर/वी.डी.यू. पैनल V.D.U.(पी.सी.) पर उपलब्ध ट्रैक सर्किट के इंडीकेशनों को देखकर वांछित लाइन का ओवर-लैप सहित साफ होना सुनिश्चित करेगा।
- (घ) आने वाली गाड़ी के लिए वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये V.D.U. (पी.सी.) द्वारा सम्बन्धित सिगनल पर माउस द्वारा कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करने पर प्राप्त मीनू पर प्रदर्शित सम्बन्धित लाइन के रूट पर माउस से कर्सर ले जाकर लेफ्ट क्लिक करने पर सम्बन्धित लाइन का सिगनल आफ हो जाएगा।
- (ङ) सिगनल के आफ होते ही रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे।
- (च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियाँ प्रकाशित हो जायेंगी।
- (छ) प्वाइंट्स के निकट लघु सफेद बत्ती जल जायेंगी जो संबंधित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि संबंधित आगमन सिगनलों का आस्पेक्ट भी वी.डी.यू. पर आया है जो गाड़ी के लिये आगमन सिगनलों का आफ होने का सूचक है।
- (ज) जब गाड़ी होम सिगनल पार कर जायेगी तो आगमन सिगनल “आन” स्थिति में हो जायेंगे।
- (झ) गाड़ी जैसे-जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती-जाती है वैसे-वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियाँ बुझकर लाल बत्तियाँ जल जाती हैं और जैसे-जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे-वैसे लाल बत्तियाँ बुझ जाती हैं तथा सफेद बत्तियाँ फिर जल जाती हैं।
- (ञ) गाड़ी आगमन के पश्चात कांटों को सामान्य व सहायक नि० 3.38 के अनुसार संरक्षित करेंगे।
- (कांटो व सिगनलों के संचालन हेतु स्टेशन कार्य प्रणाली में संलग्न परिशिष्ट ‘बी’ व अनुलग्नक X को देखें)

6.3.2 सिगनल को पुनः “आन” करने के लिए स्टेशन मास्टर का दायित्व :
सामान्य एवं सहायक नियम 3.36 के अनुसार स्टेशन मास्टर सिगनल का पुनः आन करना सुनिश्चित करे।

कमशः पृष्ठ 42 पर

6.4 एक साथ दो गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान, गाड़ियों की कासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना :-

- 6.4.1** इस स्टेशन पर एक साथ गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' के अनुसार किया जायेगा।
- 6.4.2** गाड़ियों के कासिंग के समय सबसे बाहरी कौंटो को जिन पर से गाड़ी गुजरेगी इस तरह सेट व लाक होना चाहिये कि किसी भी परिस्थिति में गाड़ियों एक ही लाइन पर आकर न मिल सकें।

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन :

- (क) कार्यरत स्टेशन मास्टर/V.D.U.पैनल, स्टेशन पर उपलब्ध **डोमिनगढ़** छोर हेतु **डाउन** गाड़ियों के आगमन हेतु सत्त ट्रैक सर्किटेड के क्लीयर इण्डिकेशन द्वारा तथा **गोरखपुर कैंट** छोर हेतु **अप** गाड़ियों के आगमन हेतु सत्त ट्रैक सर्किटेड/**MSDAC** के क्लीयर इण्डिकेशन द्वारा ब्लाक की क्लीयरिंग सुनिश्चित करेंगे। इण्डिकेशन के विफलता की स्थिति में पावर केबिन सुपरवाइजर कार्यरत स्टेशन मास्टर/इन्डोर को प्राइवेट नम्बर के साथ सूचित करेंगे। स्टेशन मास्टर/इन्डोर गाड़ी के गार्ड से गाड़ी का **"पूर्ण आगमन"** गाड़ी पूर्ण आगमन रजिस्टर (टी-1410) पर लेगा तथा पावर केबिन सुपरवाइजर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ सूचित करेगा। उसके पश्चात् ही पावर केबिन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर/ब्लाक लाइन को **'क्लोज'** करेंगे।

(साधारण नियम 4.17 (2)(ई))

नकहाजंगल छोर हेतु **डाउन** गाड़ियों के आगमन की दशा में **एच.ए.एस.एस.डी.ए.सी.** के क्लीयर इण्डिकेशन द्वारा ब्लाक की क्लीयरिंग सुनिश्चित करेंगे। इण्डिकेशन के विफलता की स्थिति में सम्पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के लिए **समपार सं० 1** पर कार्यरत फाटकवाला गाड़ियों के टेल बोर्ड/टेल लैम्प के साथ पास होने पर गाड़ी का पूर्ण आगमन की पुष्टि स्वरूप स्टेशन मास्टर/ब्लाक को अपना प्राइवेट नं० देगा। सम्पूर्ण आगमन की पुष्टि स्वरूप प्राइवेट नम्बर मिल जाने के उपरान्त ही कार्यरत स्टेशन मास्टर/ब्लाक लाइन **'क्लोज'** करेंगे। **समपार सं० 1** पर कार्यरत फाटकवाले से प्राइवेट नम्बर न मिलने की दशा में पावर केबिन सुपरवाइजर कार्यरत स्टेशन मास्टर/इन्डोर को प्राइवेट नम्बर के साथ सूचित करेंगे।

स्टेशन मास्टर/इन्डोर गाड़ी के गार्ड से गाड़ी का **"पूर्ण आगमन"** गाड़ी पूर्ण आगमन रजिस्टर (टी-1410) पर लेगा तथा पावर केबिन सुपरवाइजर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ सूचित करेगा। उसके पश्चात् ही पावर केबिन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर/ब्लाक लाइन को **'क्लोज'** करेंगे।
(देखें सा० एवं सा० व सहा० नियम 4.17)

- (ख) यह एक टर्मिनल तथा नोटिस स्टेशन है अतः इस स्टेशन से किसी भी गाड़ी को बिना रुके रन थ्रू जाने की अनुमति नहीं है।

कमशः पृष्ठ 43 पर

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :

6.6.1 चालू लाइनों से गाड़ियों का प्रस्थान :

“गाड़ियों का प्रस्थान” हेतु स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट “बी” व सिगनल एवं कॉटों के संचालन की तालिका हेतु अनुलग्नक—VII एवं अनुलग्नक—X को अवश्य पढ़ा जाय। गाड़ी के प्रस्थान हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिए कि :

- (क) यात्री गाड़ी जब प्रस्थान के लिए तैयार हो तथा यदि आवश्यक हो तो उसका “गाड़ी परीक्षण संदेश/रिपोर्ट (टी-431) टी0एक्स0आर0 से प्राप्त कर लिया गया हो कार्यरत स्टेशन मास्टर/इनडोर गाड़ी नियन्त्रक व उप स्टेशन अधीक्षक से परामर्श करने के पश्चात यात्री गाड़ी सं० एवं लाइन सं० जिससे गाड़ी प्रस्थान करेगी तथा स्टेशन का नाम जहां जायेगी, इत्यादि विवरणों के साथ कार्यरत पावर केबिन सुपरवाइजर को डोमिनगढ़/नकहा जंगल/गोरखपुर कैंट स्टेशन जैसी भी स्थिति हो से प्राइवेट नम्बर के साथ लाइन क्लीयर प्राप्त करने के लिए सूचित करेगा। इसी प्रकार अप/डाउन मालगाड़ी यदि प्रस्थान के लिए तैयार हो तो क्षेत्रीय नियंत्रक गाड़ी का पूर्ण विवरण एवं लाइन सं० जिससे गाड़ी प्रस्थान करेगी तथा स्टेशन का नाम जहां जायेगी इनडोर स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा जो पावर केबिन सुपरवाइजर को डोमिनगढ़/नकहा जंगल/गोरखपुर कैंट स्टेशन जैसी भी स्थिति हो से प्राइवेट नम्बर के साथ लाइन क्लीयर प्राप्त करने हेतु सूचित करेगा।
- (ख) कार्यरत स्टेशन मास्टर/इनडोर से सूचना प्राप्त होते ही पावर केबिन सुपरवाइजर कार्यरत स्टेशन मास्टर/ब्लॉक को अप/डाउन गाड़ी के प्रस्थान हेतु लाइन क्लीयर प्राप्त करने को कहेगा।
- (ग) कार्यरत पावर केबिन सुपरवाइजर अप/डाउन गाड़ी जैसी भी स्थिति हो, का लाइन क्लीयर प्राप्त होने के पश्चात गाड़ी संख्या एवं उसके पूर्ण विवरण के साथ किस स्टेशन को जाने वाली है इसकी सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर/V.D.U. पैनल को देगा तथा इसका विवरण लाग बुक में अंकित करेंगे।
- (घ) स्टेशन मास्टर/V.D.U.पैनल, द्वारा गाड़ी प्रस्थान करने के लिये सम्बन्धित समपार फाटको का बन्द व लाक होना सुनिश्चित करने के बाद, जाने वाली गाड़ी के लिए वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये V.D.U. (पी.सी.) द्वारा सम्बन्धित सिगनल पर माउस द्वारा कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करने पर प्राप्त सम्बन्धित मीनू पर माउस से कर्सर ले जाकर लेफ्ट क्लिक करने पर सम्बन्धित सिगनल आफ हो जाएगा तथा रूट में पड़ने वाले सभी सम्बन्धित कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे। सिगनल ‘आफ’ होने पर पूरा रूट सफेद प्रकाशित हो जायेगा।
- (ङ.) सम्बन्धित कांटे के सेट एवं लाक होने पर कांटे के निकट में सफेद इंडीकेशन मिलना सुनिश्चित करेगा। V.D.U.(पी.सी.) पर प्रस्थान होने वाली सम्बन्धित गाड़ी के प्रस्थान सिगनलों का आफ हो जाना सुनिश्चित करेगा।

कमशः पृष्ठ 44 पर

- (च) सम्बन्धित ट्रैक सर्किट का ट्रैक आकुपेन्सी प्रकाश 'लाल' गाड़ी के सम्बन्धित ट्रैक सर्किट पर आने पर प्रकाशित होगा और गाड़ी के गुजरने एवं जाने के पश्चात बुझ जायेगा ।
- (छ) गाड़ी के जाने के पश्चात कांटों को उनकी सामान्य स्थिति में कर लें ।
(कांटो व सिगनलों के संचालन हेतु स्टेशन कार्य प्रणाली में संलग्न परिशिष्ट 'बी' व अनुलग्नक-VII को देखें)

6.6.2 गैर चालू लाइनों से गाड़ियों का प्रस्थान :

सामान्य एवं सहायक नियम 5.11 देखें ।

6.6.3 काशन आर्डर (सतर्कता आदेश) का जारी किया जाना :

यह स्टेशन नोटिस स्टेशन है। एकीकृत लाबी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर/सतर्कता आदेश द्वारा सतर्कता आदेश तैयार किया जायेगा। लाबी पर साइन आन करने के बाद सभी अप व डाउन गाड़ियों के लोको पाइलट व गार्ड सतर्कता आदेश लिया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्टेशन मास्टर/सतर्कता आदेश पंजिका में सभी गाड़ियों के लोको पाइलटो व गार्डों का प्रति हस्ताक्षर लेकर सतर्कता आदेश जारी किया जाना तथा यार्ड/स्टेशन से गाड़ी के प्रस्थान का समय भी पंजिका में अंकित किया जाना सुनिश्चित करेगा। कोई नया सतर्कता आदेश प्राप्त होने पर यदि यार्ड/स्टेशन से गाड़ी का प्रस्थान नहीं हुआ है या किन्ही कारणों से विलम्बन होता है तो स्टेशन मास्टर/सतर्कता आदेश द्वारा उस गाड़ी के लोको पाइलट व गार्ड को संशोधित सतर्कता आदेश जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

लाइन की मरम्मत होने के या किसी अन्य घटना की, जिससे गाड़ियों की संरक्षा को खतरा हो तथा जिसके लिये सतर्कता की आवश्यकता हो, ऐसी सूचना मिलने पर, स्टेशन मास्टर/सतर्कता आदेश सूचना मिलने की प्राप्ति स्वीकृति देगा तथा प्रभावित ब्लाक सेक्शन में जाने के लिये कोई गाड़ी अपने यहाँ से भेजने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि सतर्कता आदेश के माध्यम से ऐसे खतरे एवं खतरे के स्थल के विषय में ड्राइवर/गार्ड को चेतावनी दे दी गई है। स्टेशन मास्टर/सतर्कता आदेश प्रतिबन्ध स्थल के पिछले स्टेशन को, उस प्रथम गाड़ी का विवरण देगा जिसे सतर्कता आदेश जारी किया जा चुका है।

यदि इस स्टेशन को गाड़ी की दिशा में अगले नोटिस स्टेशन तक किसी स्टेशन के बीच विशेष सतर्कता की आवश्यकता की सूचना नहीं है तो कार्यरत स्टेशन मास्टर/सतर्कता आदेश अपने यहाँ से चलने वाली प्रत्येक गाड़ी के ड्राइवर एवं गार्ड को "कोई नहीं" सतर्कता आदेश जारी करेगा।

नोट :-इस स्टेशन से लोको पायलट तबतक गाड़ी नहीं चलायेगा और गार्ड गाड़ी चलाने का संकेत तबतक नहीं देगा जबतक कि उन्हें "सतर्कता आदेश" न मिल गया हो। स्टेशन मास्टर/इनडोर गाड़ी को प्रस्थान किये जाने की अनुमति दिये जाने से पूर्व गाड़ी के लोको पायलट व गार्ड से सतर्कता आदेश प्राप्त हो जाना सुनिश्चित करेगा।

(सा० एवं सहा० नियम 4.09 देखें)

6.7 गाड़ियों का स्टेशन पर बिना रुके जाना :

यह स्टेशन नोटिस स्टेशन होने के कारण सभी गाड़ियाँ इस स्टेशन पर बिना रुके नहीं जायेगी।

कमशः पृष्ठ 45 पर

6.8 विफलता के दौरान कार्य पद्धति :**6.8.1 ट्रैक सर्किट की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :**

ट्रैक सर्किट विफलता की स्थिति में स्टेशन मास्टर द्वारा व्यक्तिगत सत्यापन द्वारा सम्बन्धित ट्रैक क्लीयरेंस सुनिश्चित किया जायेगा। प्वाइन्ट जोन के ट्रैक सर्किट की विफलता होने की स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा व्यक्तिगत सत्यापन द्वारा ट्रैक क्लीयरेंस सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यरत स्टे.मा. भौतिक सत्यापन के जरिए व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करने के बाद कि प्वाइन्ट जोन किसी भी प्रकार के वाहनों/अवरोधों से मुक्त है, और चलाये जाने वाला कॉटा रूट में लाकड नहीं है। स्टेशन मास्टर V.D.U. काउन्टर बाक्स पर इमरजेन्सी एस.एम. 'की' लगायेगा, जिससे काउन्टर बाक्स व वी.डी.यू. पैनल पर इमरजेन्सी एस.एम. 'की' 'इन' का इन्डीकेशन प्राप्त हो जायेगा। तत्पश्चात् सम्बन्धित प्वाइन्ट मीनू पर आवश्यकतानुसार 'इमर्जेन्सी नार्मल/रिवर्स' विकल्प को क्लिक करेगा। 'इमर्जेन्सी नार्मल/रिवर्स' विकल्प के क्लिक होने बाद सम्बन्धित कॉटा अपने अन्तिम संचालन स्थिति के अनुसार स्वतः नार्मल/रिवर्स हो जायेगा। इससे वीडर काउन्टर (EWN) पर एक उच्च रीडिंग दर्ज हो जाती है। उपरोक्त प्रक्रिया से कॉटो के सेट न होने पाने की दशा में क्रेन्क हैण्डिल की सहायता से कॉटों को सेट किया जायेगा।

स्टे.मा. द्वारा इसकी प्रविष्टि स्टे.मा. डायरी एवं सिगनल विफलता रजिस्टर व वीडर गणक रजिस्टर में की जायेगी। स्टे.मा. को उपरोक्त कार्यवाही करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी चाहिये।

6.8.2 कांटो की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :

मोटर कांटों की विफलता की स्थिति में, कांटों की सेटिंग, क्रेन्क हैण्डिल के उपयोग से की जायेगी। क्रेन्क हैण्डिल को लीवर लाक कम सर्किट कंट्रोलर असेम्बली से निकालने की पद्धति एवं कांटो के संचालन की विस्तृत पद्धति परिशिष्ट "बी" के अनुलग्नक-। में दिया गया है।

6.8.3 सिगनल की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :

सिगनल की विफलता के मामले में विस्तृत कार्य पद्धति के लिये सामान्य नियम 3.68(1)(2), सहायक नियम 3.68 सामान्य नियम 3.69, सामान्य एवं सहायक नियम 3.70 देखें।

6.8.4 ब्लाक यंत्रों की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :

ब्लाक यंत्रों की विफलता की स्थिति में गाड़ियों का परिचालन सामान्य एवं सहायक नियम अध्याय 14 के अनुसार किया जायेगा।

6.8.5 एक्सिल काउन्टर/एक्सिल काउन्टर ब्लाक की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :

स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" में अनुलग्नक VIII व अनुलग्नक IX देखें।

6.8.6 क्षतिग्रस्त कांटों पर कार्य करने की पद्धति :

सामान्य नियम 3.77(1)(2) एवं सहायक नियम 3.77(i) देखें।

6.8.7 अवरुद्ध लाइनों पर गाड़ियों के आगमन की पद्धति :

सामान्य नियम 5.09(1)(2)(3) एवं सहायक नियम 5.09(i) देखें।

6.8.8 बिना सिगनल वाली लाइनों पर गाड़ियों के आगमन की पद्धति :

सामान्य नियम 5.10(1)(2) एवं सहायक नियम 5.10(i)(ii)(iii) देखें।

कमशः पृष्ठ 46 पर

6.8.9 शन्ट सिगनल की विफलता पर कार्य करने की पद्धति:-

जब शन्ट सिगनल के लिए रूट सेट हो और सिगनल आफ न हो रहा हो और यदि **वी.डी.यू.** पर रूट लाइट प्रदर्शित हो चुकी हो तो स्टेशन मास्टर खराब सिगनल पर शन्टिंग को नियन्त्रण करने के उद्देश से हैंड सिगनल देने के लिए रेल सेवक को नियुक्त कर देगा तथा निर्धारित फार्म में चालक को लिखित प्राधिकार देकर हाथ सिगनलों से शन्टिंग संचालन की अनुमति दे सकता है। यदि **वी.डी.यू.** पर रूट लाइट नहीं दिखाई दे रही है तो मार्ग में पड़ने वाले सभी कांटों को खराब समझा जाएगा। शन्टिंग प्रभारी व्यक्तिगत रूप से कांटों की सही सेटिंग की जांच करेगा और सभी कांटों को क्लैम्प एवं पैडलाक किए जाने के बाद ही निर्धारित फार्म में चालक को लिखित प्राधिकार देकर हाथ सिगनल द्वारा शन्टिंग कराएगा। ऐसे मामले में स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा कि कोई संदेहात्मक संचालन नहीं किया जा रहा है। जैसे ही सिगनल ठीक हो जाये या चालक कार्यमुक्त हो जाये—इन दोनों में जो पहले हो—तो चालक से मेमो वापस लेकर कार्यालय प्रति पर चिपका दिया जायेगा।

(देखे सहायक नियम 3.68(4)(i)(ii))

6.9 ट्रालियों / मोटर ट्रालियों / सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में उपलब्ध :

सामान्य एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 व स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" व अनुलग्नक VIII देखें।

7. लाइन अवरुद्ध होना :

साधारण एवं सहायक नियम 5.19 में निम्नलिखित प्रावधानों के अतिरिक्त सामान्यतया इस स्टेशन पर रनिंग लाइनों को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं है। यदि किसी रनिंग लाइन को स्टेबुल्लड लोड वाहन, सवारी डिब्बा या किसी गाड़ी के कासिंग अथवा किसी अन्य गाड़ी को वरीयता देने के लिये अवरुद्ध किया जाता है तो अवरोधित लाइन पर गाड़ी आ जाने के पश्चात कांटों को उस लाइन के विपरीत दिशा में सेट कर देना चाहिये। बशर्ते उसी लाइन पर शंटिंग या अन्य संचालन आवश्यक न हो। जब किसी लाइन को स्टेबुल्लड लोड या अन्य किसी वाहन से अवरोधित किया जाये तो कार्यरत पैनल सुपरवाइजर द्वारा कार्यरत स्टेशन मास्टर इनडोर को भी **प्राइवेट नम्बर** के आदान प्रदान के साथ सूचित किया जायेगा तथा इसकी प्रविष्टि कार्यरत पैनल सुपरवाइजर द्वारा लागू बुक में तथा स्टेशन मास्टर/ब्लाक द्वारा ट्रेन सिगनल रजिस्टर में किया जायेगा एवं स्टेशन मास्टर/**वी.डी.यू.** पैनल द्वारा सम्बन्धित लाइन को ब्लाक कर दिया जायेगा।

यार्ड में वाहन/लोड/गाड़ी के स्टेबल करने पर **सा० एवं सहा० नियम 5.23** के अनुसार पर्याप्त संख्या में संरक्षा चेन, पैडलाक एवं स्ट्रैंग लगाकर सुरक्षित कर लेना चाहिए। ब्रेकयुक्त वाहन/वाहनों/रेक के ब्रेक को लगा देना चाहिये। स्टेशन सीमा के बाहर किसी साइडिंग में वाहन/वाहनों को छोड़े जाने से पूर्व **सा० नियम 5.22** का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (**सा० नियम 4.11(2), 5.22 एवं सा० व सहा० नियम 5.19 एवं 5.23 देखें।**)

8. शंटिंग :

वे कांटे जो किसी चाभी से सेट व लाक नहीं होते हैं या शंट सिगनल या अन्य किसी सिगनल से नियंत्रित नहीं होते हैं तो शंटिंग में उन सम्मुख कांटों को क्लैम्प व पैडलाक अवश्य किया जाय। साधारण एवं सहायक नियम सं० 8.09, 8.10, 8.12, 8.13, 8.15 की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाता है।

8.1 सामान्य सावधानियाँ :

सा० व सहायक नियम 5.14(1)(2)(3) व 5.16 देखें।

कमशः पृष्ठ 47 पर

8.2 आती हुई गाड़ी के सम्मुख शंटिंग :

- (i) जब लाइन क्लीयर दिया जा चुका है तो स्टेशन सेक्शन के बाहर कोई अवरोध नहीं होने दिया जायेगा किन्तु स्टेशन सेक्शन के भीतर शंटिंग कार्य लगातार किया जा सकता है परन्तु यह तब जब आवश्यक सिगनल आन रखे जाये ।
- (ii) जब किसी ऐसी लाइन पर जो पृथक नहीं की गयी है, आने वाली गाड़ी के लिए सिगनल "आफ" किये जा चुके हैं तो शंटिंग कार्य उन कॉटों की तरफ नहीं किया जायेगा जिन पर से आने वाली गाड़ी को गुजरना है ।

8.3 शंटिंग पर प्रतिबन्ध :

- (क) यदि लाइन क्लीयर दिया जा चुका है तो पिछले ब्लाक सेक्शन में किसी अवरोध की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- (ख) धुन्ध या कोहरा या किसी भी कारण यदि दृश्यता बाधित हो तो किसी भी गाड़ी का लाइन क्लीयर देने के पश्चात उसके सामने उन लाइनों पर शंटिंग करने की अनुमति नहीं है जो पृथक नहीं है ।

8.4 इकहरी लाइन पर शंटिंग :**8.4.1 ब्लाक खण्ड साफ होने पर शंटिंग (आगमन अनुमति देने के पूर्व)**

आगमन अनुमति देने के पूर्व इस स्टेशन पर शंटिंग अग्रिम प्रस्थान सिगनल के मध्य स्वीकृत है। (सा० एवं सहायक नियम म 8.09 एवं 8.10 देखें)

8.4.2 आती हुई गाड़ी की दिशा में शंटिंग :-

राउटिंग होम सिगनल तक ही की जा सकती है यदि अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक शंटिंग करना है तो सहायक नियम 8.08(i)(ख) में दिये गये शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।

8.4.3 जाती हुई गाड़ी के पीछे शंटिंग :-

जाती हुई गाड़ी के पीछे होम सिगनल तक शंटिंग स्वीकृत है बशर्ते जाने वाली गाड़ी होम सिगनल को पार कर गई है गाड़ी का संचलन जारी हो। साधारण नियम 8.12 को विशेष रूप से देखें।

8.4.4 शंटिंग पर प्रतिबन्ध :-

साधारण एवं सहायक नियम सं० 5.13 एवं 5.14 का अनुपालन सुनिश्चित करें। किसी भी आने वाली गाड़ी के लिये यदि सिगनल आफ कर दिया गया है तो शंटिंग संचालन नहीं किया जायेगा, जब तक कि लाइन जिस पर शंटिंग किया जाना है, आने वाली गाड़ी के लाइन से आइसोलेट नहीं है।

टिप्पणी:- शंटिंग के दौरान रास्ते में पड़ने वाले समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक कर लिए जायेंगे।

8.4.5 इकहरी लाइन पर ब्लाक उपकरण खराब होने के दौरान शंटिंग :-

ब्लाक उपकरण के विफलता सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुये शंटिंग की जायेगी।

कमशः पृष्ठ 48 पर

8.6 स्टेशन यार्ड/माल यार्ड से निकलने वाली साइडिंग में शंटिंग :

- (क) पूर्व छोर पर नान-इन्टरलाकड जोन में 8 लीवर ग्राउन्ड फ्रेम द्वारा शंटिंग हेतु वी.डी.यू. पैनल पर प्रदत्त नियंत्रण बटन 521 हेतु रिलीज/लाकड इंडीकेशन दिया गया है। वी.डी.यू. पैनल पर नियंत्रण बटन 521 द्वारा रिलीज करने पर रिलीज चाभी "वी" की सहायता से संचालन किये जाने हेतु स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट 'बी' में वर्णन किया गया है।
- (ख) पूर्व छोर पर नान-इन्टरलाकड जोन में 3 लीवर ग्राउन्ड फ्रेम द्वारा शंटिंग हेतु वी.डी.यू. पैनल पर प्रदत्त नियंत्रण बटन 522 हेतु रिलीज/लाकड इंडीकेशन दिया गया है। वी.डी.यू. पैनल पर नियंत्रण बटन 522 द्वारा रिलीज करने पर रिलीज चाभी "डब्लू डब्लू" की सहायता से संचालन किये जाने हेतु स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट 'बी' में वर्णन किया गया है।
- (ग) पश्चिम छोर पर नान-इन्टरलाकड जोन में शंटिंग के लिए वी.डी.यू. पैनल पर प्रदत्त नियंत्रण बटन 523 रिलीज/लाकड द्वारा रिलीज चाभी "एफ-1" की सहायता से संचालन किये जाने हेतु स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट 'बी' में वर्णन किया गया है।
(स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट 'बी' एवं अनुलग्नक VI को देखें)

9. असामान्य परिस्थितियाँ :**(क) असामान्य परिस्थितियों में अनुपालन हेतु नियम :**

- (i) स्टेशन पर दिये हुए स्थावर सिगनलों में से किसी के विफल होने की दशा में साधारण एवं सहायक नियम 3.68, 3.69, 3.70, 3.71 व 3.74 में निहित निर्देशों के अनुसार गाड़ियों का संचालन किया जायेगा। ब्लाक उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लियर संदेश स्टेशन पर उपलब्ध संचार माध्यम पर अधिमानता के क्रम में भेजा जाना चाहिये।

(विस्तृत विवरण के लिये साधारण एवं सहायक नियम का अध्याय-14 एवं परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी:(अ) ब्लाक यन्त्र टेलीफोन पर लाइन क्लियर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से जुड़ जाने की आशंका रहती है ।

- (ब) दुर्घटना की स्थिति में या किसी अन्य कारण से लाइन अवरुद्ध होने पर स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि उस खण्ड को ब्लाक कर दें और कारण जानने की कोशिश करें तथा आवश्यकता पड़े तो इंजन से, ट्राली या सड़क यातायात से या पैदल उस व्यवधान स्थल पर पहुंचें और दुर्घटना मैनुअल एवं साधारण एवं सहायक नियम अध्याय 6 के अनुसार कार्य करें।

- (स) बिना सिगनल के किसी गाड़ी का आगमन विद्युत चालित कांटों पर हो तो स्टेशन मास्टर का दायित्व होता है कि वह कांटों को सामान्य और विपरीत दिशा चलाकर सही सेटिंग सुनिश्चित करें। जब स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित कर लें कि स्टेशन पैनल पर सामान्य एवं विपरीत का संकेत सही है तभी कांटों पर परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा डायरी में इसको रिकार्ड कर लिया जाना चाहिए।

कमशः पृष्ठ 49 पर

(ii) लाइन पर अवरोध या दुर्घटना आदि के मामले में अवरोधित ब्लाक खंड में प्रस्थान आदेश :

दुर्घटना अथवा लाइन के अवरुद्ध होने की स्थिति में, यदि आवश्यक हो, अवरोध के स्थान तक कार्य हेतु गाड़ियों के चलाने का अधिकार टी/ए 602 जिसमें बिना लाइन क्लीयर के जाने का ब्लाक टिकट, प्रस्थान सिगनल आन स्थिति में पास करने का प्राधिकार एवं सतर्कता आदेश समावेशित होगा, पर भेजी जायेगी।

(सामान्य नियम 6.02 एवं 6.09 देखें।)

(iii) ब्लाक खंड में रुकी हुई गाड़ियाँ :

यदि कोई सवारी गाड़ी किसी स्टेशन पर नियत आगमन समय के 10 मिनट के अन्दर और मालगाड़ी नियत आगमन समय के 20 मिनट के अन्दर न पहुँच सके तो ब्लाक सेक्शन के दोनों ओर के स्टेशन मास्टर को कारण पता करने के लिए किसी रेल सेवक को भेजना चाहिए। दोहरी लाइन पर या बगल में लाइनों के होने पर इस कार्य के लिए यदि उपलब्ध हो तो इंजन उपयोग में लाया जा सकता है।

(सामान्य नियम 6.04 देखें।)

(iv) मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल के आन होने पर चूक/पासिंग :

स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

(v) एक्सिल काउन्टर ब्लाक/बी.पी.ए.सी. की खराबी :

स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी', अनुलग्नक-VIII व अनुलग्नक-IX में दिया गया है।

(vi) एम.टी.आर.सी. में खराबी :

स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

(ख) कैंक हैण्डिल एवं केएलसीआर द्वारा कांटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्यविधि :

(i) आपात स्थिति में मोटर संचालित कांटों को कैंक हैण्डिल से संचालन का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "बी" के अनुलग्नक-। में दिया गया है।

(ii) ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में कांटों का आपात संचालन या रूट रिलीज कराने हेतु सामान्य नियम 3.39 एवं 3.77 देखें।

(ग) कालिंग आन सिगनल परिचालन से पूर्व रेलपथ के क्लीयरेंस का प्रमाणन :

ट्रैक सर्किट के विफल होने पर कालिंग आन सिगनल को आफ करने के पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा मार्ग की सही सेटिंग एवं बाधारहित होने की व्यक्तिगत रूप से जांच की जायेगी जिस पर से गाड़ी गुजरना है।

(घ) कांटो, ट्रैक सर्किट/एक्सिल काउन्टर और अन्तर्पाशन की खराबी की रिपोर्ट करना

जब भी स्टेशन पर कांटो, ट्रैक सर्किट/एक्सिल काउन्टर या कोई अन्य अन्तर्पाशन गियर में खराबी पायी जाती है तो कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा सम्बन्धित कार्यरत सिगनल अनुरक्षण कर्मचारी जो इस खराबी को ठीक करने के लिए उत्तरदायी है, को रिपोर्ट की जाये तथा उस खराबी के ठीक होने के बाद सिगनल अनुरक्षक से केवल लिखित मेमो प्राप्त होने पर ही स्टेशन मास्टर द्वारा कार्य प्रणाली को पुनः सामान्य स्थिति में लाया जाये। खण्ड के नियंत्रक को संदेश देने के साथ इस खराबी को सिगनल विफलता रजिस्टर में भी दर्ज किया जाये।

कमशः पृष्ठ 50 पर

9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता :-

पूर्ण ब्लाक पद्धति के अन्तर्गत कार्य करने वाले दो ब्लाक स्टेशनों के मध्य उपलब्ध संचार साधनों की **पूर्ण विफलता** होने पर सामान्य एवं सहायक नियम के परिशिष्ट 'ख' के अनुसार गाड़ी का संचालन किया जायेगा।

इकहरी लाइन खण्ड में संचार साधनों की विफलता की स्थिति में :

ऐसी दशाओं में प्रभावित ब्लाक स्टेशन को गाड़ियों को भेजने हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर लाइट इंजन/ट्रेन इंजन/मोटर ट्राली/ट्राली साइकिल ट्राली/मोपेड ट्राली के चलाने के पहले संचार साधन चालू करने के लिये भेजे जाने वाले चालक/गार्ड/स्टेशन मास्टर को निर्धारित फार्म **टी/बी 602** पर सम्पूर्ण संचार साधन विफल होने पर संचार खोलने हेतु प्राधिकार को सुपुर्द करेगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा:-

- (i) लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार ।
- (ii) सतर्कता आदेश, जिसमें वह गति विनिर्दिष्ट की गयी हो जिस पर प्रभावित ब्लाक सेक्शन से इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता हो।
- (iii) अन्तिम रोक सिगनल, यदि स्टेशन पर कोई रोक सिगनल हो, को 'आन' स्थिति में पार करने का प्राधिकार।
- (iv) प्रभावित ब्लाक सेक्शन के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इन्क्वायरी संदेश, जिसमें उसके स्टेशन के लिये भेजे जाने के लिये प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जाये।
- (v) प्रभावित ब्लाक सेक्शन के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम एक सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें निम्नलिखित के लिये अनुमति दी गयी हो:-
 - (अ) लाइट इंजन/ट्रेन इंजन को लाइट या किसी गाड़ी के साथ यदि कोई उस स्टेशन पर जाने हेतु प्रतीक्षा में है या किसी दूसरे इंजन के साथ लगकर। या
 - (ब) टावर वैगन/डीजल कार/रेल मोटर कार/ इ0एम0यू0 रैक को अकेला वापस लौटने हेतु । या
 - (स) मोटर ट्राली/ट्राली/साइकिल ट्राली/मोपेड ट्राली को किसी गाड़ी जो उसके स्टेशन पर जाने हेतु प्रतीक्षारत है में लादकर भेजने हेतु या स्वयं चलते हुए आने के हेतु ।

नोट : गाड़ियों का संचालन सा० एवं स० नियम पुस्तक के परिशिष्ट "ख" भाग-II के अनुसार होगा ।

9.2 बिना लाइन क्लीयर प्रस्थान प्राधिकार पर या दुधर्टनाग्रस्त/क्रिपिल्ड गाड़ी के सहायतार्थ गाड़ी का प्रस्थान :

- (क) ब्लाक सेक्शन से जब तक अवरोध दूर न हो जाये तब तक यदि आवश्यकता हो तो गाड़ियां अवरोध स्थल तक "रिलीफ इंजन/गाड़ी" अवरुद्ध ब्लाक खण्ड में भेजने के प्राधिकार" फार्म **टी/ए 602** जिसमें बिना लाइन क्लीयर जाने का ब्लाक टिकट सिगनल आन स्थिति में पार करने का प्राधिकार एवं सतर्कता आदेश समावेशित होगा, पार भेजी जायेगी। इस प्राधिकार में स्पष्ट रूप से लिखा जायेगा कि गाड़ियों को तत्काल वापस जाना है या अवरोध स्थल पर अनुगामी गाड़ी के जिसे भेजने की आवश्यकता हो पहुँचने व वापसी की प्रतीक्षा करनी होगी।

क्रमशः पृष्ठ 51 पर

इस नियम के अधीन दूसरी गाड़ी किसी भी दशा में पहली गाड़ी के पीछे नहीं भेजी जानी चाहिए यदि पहली गाड़ी के फार्म टी/ए 602 प्राधिकार पर यह पृष्ठांकित न किया गया हो कि दूसरी गाड़ी पीछे से जायेगी। अवरोध स्थल को भेजी गई गाड़ियों की साधारण नियम 6.03 एवं 3.62 में दी गई विधियों के अनुसार रक्षा होनी चाहिए।

- (ख) यदि ब्लॉक सेक्शन के अवरोध दुर्घटना के कारण हो और चिकित्सा सहायता गाड़ी/ब्रेक डाउन गाड़ी/मेटेरियल ट्रेन/लाइट इंजन के भेजने जाने के पश्चात् दुर्घटना स्थल पर प्रति नियुक्त प्रभारी अधिकारी दूसरी चिकित्सा सहायता गाड़ी ब्रेक डाउन गाड़ी/मेटेरियल ट्रेन/लाइट इंजन को दुर्घटना स्थल पर मांग करने की आवश्यकता महसूस करते हैं तो ड्यूटी पर तैनात नियंत्रक दुर्घटना स्थल पर प्रतिनियुक्त प्रभारी अधिकारी से परामर्श करके उपर्युक्त दूसरी गाड़ी को भेजने की अनुमति दे सकता है। यदि ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने वाली पहली गाड़ी के प्राधिकार फार्म टी/ए 602 पर यह पृष्ठांकित नहीं किया गया है कि बाद में दूसरी गाड़ी भी भेजी जायेगी तो दुर्घटना स्थल पर प्रति नियुक्त प्रभारी अधिकारी ड्यूटी पर तैनात नियंत्रक से परामर्श करके दूसरी गाड़ी को भेजे जाने का आदेश दे सकता है बशर्ते कि पहले आने वाली गाड़ी को स्थिर कर उनकी साधारण नियम 6.03 के अनुसार रक्षा कर ली गई है।
- (ग) इसके अतिरिक्त प्रथम गाड़ी के गार्ड अथवा इसके बदले कोई अन्य सक्षम रेल कर्मी गाड़ी के पीछे पर्याप्त दूरी से ली जाने वाली दूसरी गाड़ी को आने वाली दिशा की ओर निरन्तर खतरे का सिगनल प्रदर्शित करता रहेगा।
- (घ) अगर चालक अनपढ़ हो तो बिना लाइन क्लियर प्रस्थान आदेश पर अंकित निर्देशों को गार्ड के समक्ष पढ़ कर समझा देना चाहिये। बिना लाइन क्लियर आदेश के पन्ने पर इससे सम्बन्धित रिकार्ड को रखना चाहिये।

(साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट “ख” के भाग-II को देखें)

9.3 पावर केबिन गोरखपुर जं० – गोरखपुर कैण्ट के मध्य ट्रैक सर्किट या टोकनलेस ब्लॉक पद्धति की विफलता की दशा में अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली का विवरण :-

सामान्य अवस्था में गाड़ियों गोरखपुर जं० पावर केबिन एवं गोरखपुर कैण्ट के मध्य युग्म इकहरी लाइन कार्यप्रणाली (Twin single line system) के अर्न्तगत गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने का प्रस्थान प्राधिकार सम्बन्धित उत्तर/दक्षिण लाइन के अग्रिम प्रस्थान सिगनल का “आफ” आस्पेक्ट है।

- (क) जब किसी एक लाइन (उत्तर अथवा दक्षिण) का टोकनलेस ब्लॉक पैनल विफल हो जाये अथवा अग्रिम प्रस्थान सिगनल “आफ” न किया जा सके तो निम्न अनुदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन किया जायेगा :-
- यदि उत्तर लाइन पर गाड़ियों का संचालन सामान्य दशा में और दक्षिण लाइन असामान्य दशा में हो तो ऐसी स्थिति में दोनों स्टेशनों के मध्य युग्म इकहरी लाइन कार्यप्रणाली (Twin single line system) को निरस्त कर दोहरी लाइन कार्य प्रणाली अपनाते हुए दक्षिण लाइन को अप गाड़ियों के लिये तथा उत्तर लाइन को डाउन गाड़ियों के लिये सुनिश्चित (Earmarked) कर दिया जायेगा। गोरखपुर कैण्ट से अप गाड़ी के प्रस्थान हेतु चालकों को पेपर लाइन क्लियर टिकट एवं प्रस्थान सिगनल हेतु टी/369(3बी) दिया जायेगा चूँकि उत्तर लाइन सामान्य दशा में है, अतः इस पर डाउन गाड़ी का सामान्य संचालन किया जाता रहेगा।

कमशः पृष्ठ 52 पर

यदि **दक्षिण लाइन** पर गाड़ियों का संचालन सामान्य दशा में और **उत्तर लाइन** असामान्य दशा में हो तो ऐसी स्थिति में दोनों स्टेशनों के मध्य युग्म इकहरी लाइन कार्यप्रणाली (Twin single line system) को निरस्त कर दोहरी लाइन कार्य प्रणाली अपनाते हुए **उत्तर लाइन** को **डाउन** गाड़ियों के लिये तथा **दक्षिण लाइन** को **अप** गाड़ियों के लिये सुनिश्चित (**Earmarked**) कर दिया जायेगा। **डाउन** गाड़ी के प्रस्थान हेतु चालकों को पेपर लाइन क्लियर टिकट एवं प्रस्थान सिगनल हेतु टी/369(3बी) दिया जायेगा चूँकि **दक्षिण लाइन** सामान्य दशा में है, अतः इस पर **अप** गाड़ी का सामान्य संचालन किया जाता रहेगा।

- (ख) जब **गोरखपुर जं० पावर केबिन** एवं **गोरखपुर कैण्ट** के मध्य दोनों लाइनों **उत्तर** एवं **दक्षिण** की अनवरत ट्रैक सर्किटिंग या टोकनलेस ब्लाक पैनल या अग्रिम प्रस्थान सिगनल अथवा अन्तर्पाशन गियरो की विफलता/असम्बद्धता अथवा अनुरक्षण उद्देश्यों के कारणों से अग्रिम प्रस्थान सिगनल को “आफ” न किये जा सकें तो ऐसी स्थिति में युग्म इकहरी लाइन कार्यप्रणाली (Twin single line system) को निरस्त कर पारस्परिक दोहरी लाइन कार्य प्रणाली अपनाई जायेगी। **दक्षिण लाइन** को **अप** गाड़ियों के लिये एवं **उत्तर लाइन** को **डाउन** गाड़ियों के लिये निश्चित (**Earmarked**) कर दिया जायेगा। दोनों स्टेशनों के कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के प्रस्थान हेतु चालकों को पेपर लाइन क्लियर टिकट एवं प्रस्थान सिगनल हेतु टी/369(3बी) दिया जायेगा। यह पद्धति तबतक लागू रहेगी जबतक अनुरक्षण करने वाले कर्मचारी द्वारा विफलताओं को ठीक नहीं कर दिया जाता है तथा सामान्य संचालन पद्धति लागू नहीं हो जाती है।

(रेलवे बोर्ड का पत्र सं० 95/Safety-I/23/7 दिनांक 12.07.2010)

9.4 पावर केबिन गोरखपुर जं० – डोमिनगढ़ के मध्य ट्रैक सर्किट या टोकनलेस ब्लाक पद्धति की विफलता की दशा में अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली का विवरण :-

सामान्य अवस्था में गाड़ियों **गोरखपुर जं० पावर केबिन** एवं **डोमिनगढ़** के मध्य युग्म इकहरी लाइन कार्यप्रणाली (Twin single line system) के अन्तर्गत गाड़ी को ब्लाक सेक्शन में प्रवेश करने का प्रस्थान प्राधिकार सम्बन्धित उत्तर/दक्षिण लाइन के अग्रिम प्रस्थान सिगनल का “आफ” आस्पाद है।

- (क) जब किसी एक लाइन (उत्तर अथवा दक्षिण) का टोकनलेस ब्लाक पैनल विफल हो जाये अथवा अग्रिम प्रस्थान सिगनल “आफ” न किया जा सके तो निम्न अनुदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन किया जायेगा :-
यदि **उत्तर लाइन** पर गाड़ियों का संचालन सामान्य दशा में और **दक्षिण लाइन** असामान्य दशा में हो तो ऐसी स्थिति में दोनों स्टेशनों के मध्य युग्म इकहरी लाइन कार्यप्रणाली (Twin single line system) को निरस्त कर दोहरी लाइन कार्य प्रणाली अपनाते हुए **दक्षिण लाइन** को **अप** गाड़ियों के लिये तथा **उत्तर लाइन** को **डाउन** गाड़ियों के लिये सुनिश्चित (**Earmarked**) कर दिया जायेगा। **अप** गाड़ी के प्रस्थान हेतु चालकों को पेपर लाइन क्लियर टिकट एवं प्रस्थान सिगनल हेतु टी/369(3बी) दिया जायेगा चूँकि **उत्तर लाइन** सामान्य दशा में है, अतः इस पर **डाउन** गाड़ी का सामान्य संचालन किया जाता रहेगा।

कमशः पृष्ठ 53 पर

यदि **दक्षिण लाइन** पर गाड़ियों का संचालन सामान्य दशा में और **उत्तर लाइन** असामान्य दशा में हो तो ऐसी स्थिति में दोनों स्टेशनों के मध्य युग्म इकहरी लाइन कार्यप्रणाली (Twin single line system) को निरस्त कर दोहरी लाइन कार्य प्रणाली अपनाते हुए **उत्तर लाइन** को **डाउन** गाड़ियों के लिये तथा **दक्षिण लाइन** को **अप** गाड़ियों के लिये सुनिश्चित (**Earmarked**) कर दिया जायेगा। **डोमिनगढ़** से **डाउन** गाड़ी के प्रस्थान हेतु चालकों को पेपर लाइन क्लियर टिकट एवं प्रस्थान सिगनल हेतु टी/369(3बी) दिया जायेगा चूँकि **दक्षिण लाइन** सामान्य दशा में है, अतः इस पर **अप** गाड़ी का सामान्य संचालन किया जाता रहेगा।

- (ख) जब **गोरखपुर जं० पावर केबिन** एवं **डोमिनगढ़** के मध्य दोनों लाइनों **उत्तर** एवं **दक्षिण** की अनवरत ट्रैक सर्किटिंग या टोकेनलेस ब्लाक पैनल या अग्रिम प्रस्थान सिगनलो अथवा अन्तर्पाशन गियरो की विफलता/असम्बद्धता अथवा अनुरक्षण उद्देश्यों के कारणों से अग्रिम प्रस्थान सिगनलो को “आफ” न किये जा सके तो ऐसी स्थिति में युग्म इकहरी लाइन कार्यप्रणाली (Twin single line system) को निरस्त कर पारस्परिक दोहरी लाइन कार्य प्रणाली अपनाई जायेगी। **दक्षिण लाइन** को **अप** गाड़ियों के लिये एवं **उत्तर लाइन** को **डाउन** गाड़ियों के लिये निश्चित (**Earmarked**) कर दिया जायेगा। दोनों स्टेशनों के कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के प्रस्थान हेतु चालकों को पेपर लाइन क्लियर टिकट एवं प्रस्थान सिगनल हेतु टी/369(3बी) दिया जायेगा। यह पद्धति तबतक लागू रहेगी जबतक अनुरक्षण करने वाले कर्मचारी द्वारा विफलताओं को ठीक नहीं कर दिया जाता है तथा सामान्य संचालन पद्धति लागू नहीं हो जाती है।

(रेलवे बोर्ड का पत्र सं० 95/Safety-I/23/7 दिनांक 12.07.2010)

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :

क. अप दिशा : प्लेटफार्म पर निर्दिष्ट स्थान से दिन और रात्रि में **अप** प्रस्थान सिगनल सं० एस-56 की बत्ती ।

ख. डाउन दिशा : प्लेटफार्म पर निर्दिष्ट स्थान से दिन और रात्रि में **डाउन** प्रस्थान सिगनल सं० एस-57 की बत्ती ।

नोट:- इस स्टेशन पर अधिकतम अनुमन्य गति 15 कि०मी० प्रतिघंटा है। अतः इस स्टेशन पर फाग सिगनल लगाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(सामान्य एवं सहायक नियम 3.61 देखें)

11. स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

स्टेशन संचालन नियम परिशिष्ट ‘ई’ देखें।

12. कोहरा होने पर बुलाये जाने वाले नामित फाग सिगनल मैम :

स्टेशन पर आवश्यकता नहीं है ।

13. परिशिष्ट की सूची :

- | | |
|------------------|--|
| 1. परिशिष्ट ‘ए’ | समपार फाटको की कार्य प्रणाली । |
| 2. परिशिष्ट ‘बी’ | सिगनलिंग एवं इन्टरलाकिंग पद्धति एवं स्टेशन पर उपलब्ध संचार व्यवस्था । |
| अनुलग्नक-I | मोटर प्वाइंट मशीन का क्रेक हैण्डिल द्वारा संचालन । |
| अनुलग्नक-II | कामर्शियल सप्लाइ की विफलता के समय सिगनलों को प्रकाशित करने की व्यवस्था । |

कमशः पृष्ठ 54 पर

- अनुलग्नक—III इकहरी लाइन डायडो टाइप टोकेनलेस विद्युत ब्लाकयंत्र की कार्यविधि।
- अनुलग्नक—IV इकहरी लाइन नियमित ट्रैक सर्किट के साथ टोकेनलेस ब्लाक पैनल की कार्य विधि (गोरखपुर जं०—डोमिनगढ़)।
- अनुलग्नक—V इकहरी लाइन नियमित ट्रैक सर्किट के साथ टोकेनलेस Inbuilt ब्लाक पैनल की कार्य विधि(गोरखपुर जं०— गोरखपुर कैन्ट)।
- अनुलग्नक—VI साइडिंग कॉटो पर लगे हस्तचालित कॉटों की कार्यपद्धति।
- अनुलग्नक—VII सिगनल एवं कॉटो के संचालन की तालिका।
- अनुलग्नक—VIII ब्लाक प्रूविंग बाई एच.ए.एस.एस.डी.ए.सी. की कार्यविधि।
- अनुलग्नक—IX MSDAC की कार्य प्रणाली।
- अनुलग्नक—X विजुअल डिस्प्ले यूनिट (V.D.U.) का पी.सी. द्वारा संचालन की कार्य विधि।
3. परिशिष्ट 'सी' टक्कर रोधी उपकरण ।
 4. परिशिष्ट 'डी' कर्मचारियों के कर्तव्य।
 5. परिशिष्ट 'ई' स्टेशन पर आवश्यक उपकरण ।
 6. परिशिष्ट 'एफ' डी के स्टेशन, हाल्ट, आई.बी.एच. आई.बी.एस. और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम ।
 7. परिशिष्ट 'जी' विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम ।
- नोट :** क. इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके अथवा सुधार करके न पढ़ा जाये।
- ख. उपर्युक्त अनुच्छेद में कुछ साधारण एवं सहायक नियमों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। नियम सम्पूर्ण नहीं है सभी अन्य साधारण और सहायक नियमों पर अन्य विशेष आदेशों या प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन दृढ़ता से किया जाये।

.....